इग्नू
जन–जन का
विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ

एम.टी.टी.–021

अनुवाद प्रशिक्षण

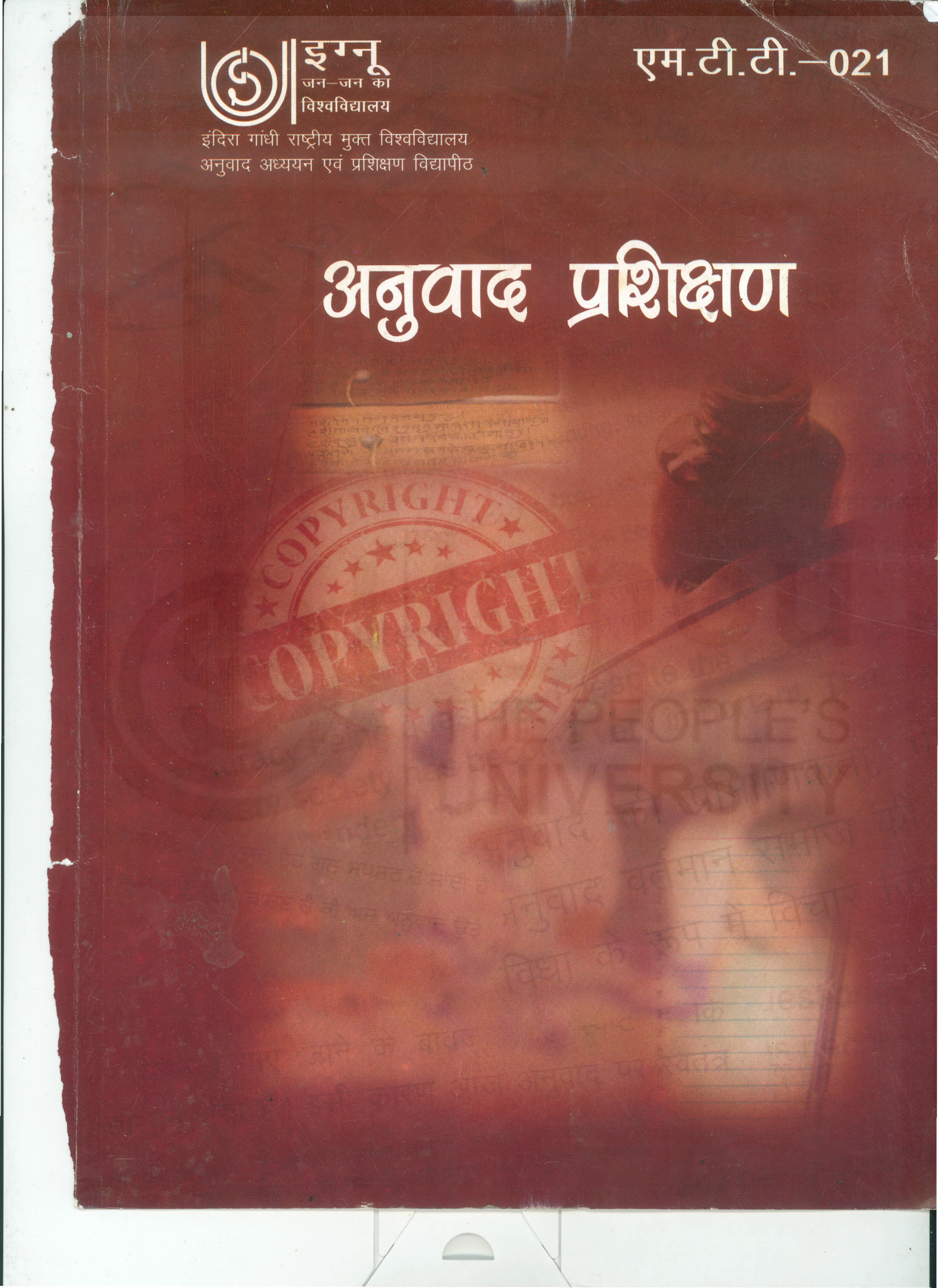

खण्ड

1

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम और अनुवाद अधिकार

इकाई 1
प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम : अवधारणा और महत्त्व 9

इकाई 2
अनुवाद और रूपान्तरण में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की भूमिका 20

खण्ड-1 का परिचय

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम और अनुवाद अधिकार शीर्षक इस पहले खण्ड की दो इकाइयों '*प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम : अवधारणा और महत्त्व*' तथा '*अनुवाद और रूपान्तरण में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की भूमिका* में *प्रतिलिप्यधिकार*' में प्रतिलिप्यधिकार से सम्बन्धित विविध प्रसंगों पर यथेष्ट जानकारी दी गई है। प्रतिलिप्यधिकार सृजनात्मकता का सम्मान है। हर राज्य और हर समाज अपने समय के रचयिता के प्रति आदर का भाव रखता है। प्रतिलिप्यधिकार को आदर, सम्मान, मान्यता देने का अर्थ सृजन को प्रोत्साहन देना है। प्रकाशन आदि व्यवसाय में प्रतिलिप्यधिकार, पूँजी निवेश को भी सुरक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक समाज को अपने कवियों, लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और कलाकारों पर गर्व होता है, क्योंकि सृजन से संस्कृति की श्रीवृद्धि होती है, और संस्कृति में हरेक राष्ट्र की पहचान छिपी होती है। इसलिए सृजन की सुरक्षा आवश्यक है, बौद्धिक सम्पदा संरक्षण कानून के अन्तर्गत सृजनकर्ता के प्रतिलिप्यधिकार की सुरक्षा वैधानिक और नैतिक—दोनों ही स्थितियों में उचित है। इस खण्ड में प्रतिलिप्यधिकार के महत्त्व एवं उसके कई सूक्ष्म बिन्दुओं का विवेचन किया गया है।

इकाई 1 प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम : स्वरूप और महत्त्व

इकाई की रूपरेखा

1.1 उद्देश्य

1.2 प्रस्तावना

1.3 प्रतिलिप्यधिकार का अर्थ

1.4 प्रतिलिप्यधिकार अधिकारों की गठरी

1.5 जिन कृतियों पर प्रतिलिप्यधिकार लागू होता है

1.6 प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी

1.7 अधिकार प्राप्त कैसे होता है?

1.8 प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन (Assignment)

1.9 समनुदेशन सम्बन्धी विवाद

1.10 उचित प्रयोग

1.11 रचयिता के विशेष अधिकार

1.12 प्रतिलिप्यधिकार की अवधि

1.13 प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन और उपचार

1.14 अनुवाद के लिए प्रकाशक से संविदा

1.15 सारांश

1.16 अभ्यास के लिए प्रश्न

1.17 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.1 उद्देश्य

यह इकाई प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम से सम्बन्धित है। इस इकाई को पढ़ने से अनुवाद अध्ययन में एम. ए. करनेवाले शिक्षार्थियों को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- प्रतिलिप्यधिकार के सम्बन्ध में जानकारी हासिल कर सकेंगे;
- प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त होने के तरीके और समनुदेशन के बारे में जान सकेंगे; और
- प्रतिलिप्यधिकार की अवधि, अतिलंघन और उपचार की समझ बना सकेंगे।

1.2 प्रस्तावना

प्रतिलिप्यधिकार सृजनात्मकता का सम्मान है। हर राज्य और हर समाज अपने समय के रचयिता के प्रति आदर का भाव रखता है। और, इस कारण उसे कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। प्रतिलिप्यधिकार को मान्यता देने का अर्थ सृजन को प्रोत्साहन देना होता है। साथ ही कारबार में पूँजी निवेश को प्रतिलिप्यधिकार सुरक्षा प्रदान करता है।
किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। प्रत्येक समाज को अपने कवियों, लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और कलाकारों पर गर्व होता है। सृजन से संस्कृति की श्रीवृद्धि होती है। इसलिए सृजन की सुरक्षा आवश्यक है।

अंग्रेजी शब्द *कापीराइट* के पीछे एक इतिहास है। प्रारम्भ में जब मुद्रण के लिए मशीन नहीं थी तब लोग कृतियों की प्रतिलिपि हाथ से करते थे या कराते थे। सन् 1436 में जर्मनी में मुद्रण मशीन के आविष्कार के पश्चात् पुस्तकों का

चलन बढ़ने लगा। इंग्लैण्ड में शासन को ऐसी आशंका रहती थी कि पुस्तक में कोई ऐसी बात न छपे जो ईसाई धर्म या सरकार के विरुद्ध हो। अतएव पुस्तक छापने की राजाज्ञा प्राप्त करना मुद्रक के लिए अनिवार्य होता था। बाइबिल छापने का एकाधिकार आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस को दिया गया। सबसे पहले सन् 1709 में अधिनियम द्वारा लेखक को अधिकार दिया गया। इस अधिकार को कापीराइट (प्रतिलिपि तैयार करने का अधिकार) कहा गया। अब तो प्रस्तुतकर्ता, प्रसारणकर्ता, फोटोग्राफर, चित्रकार, संगीतकार आदि के अधिकार भी इसी शीर्षक के अधीन आते हैं। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है।

वास्तविक अर्थ में यह एक तरह का निषेधकारी अधिकार है। रचयिता को यह अधिकार है कि वह हर व्यक्ति को अनुमति लिए बिना उसकी प्रतिलिपि बनाने से रोक सकता है। अपनी रचना की प्रतिलिपि तैयार करने का प्रथम अधिकार रचनाकार का है। इसलिए इसे प्रतिलिप्यधिकार भी कहते हैं।

1.3 प्रतिलिप्यधिकार का अर्थ

हम यहाँ भारत में लागू *प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957* को आधार मानकर विचार करेंगे।

अधिनियम का नाम *प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम* है किन्तु इसमें अन्य अधिकार भी समाविष्ट हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिलिप्यधिकार पुस्तकों और लेखकों तक सीमित था। किन्तु समय के साथ इसमें प्रस्तुतकर्ता (performer), प्रसारणकर्ता (broadcaster), नाटक के रचयिता, संगीतकार, गायक, कलाकार, फिल्म निर्माता, ध्वन्यंकनकर्ता (audio recorder), और कम्प्यूटर प्रोग्रामर भी समाविष्ट हो गए हैं।

यूरोप में लेखक के अधिकारों को *प्राथमिक अधिकार* कहते हैं अन्य अधिकारों को *द्वितीयक अधिकार* या *पड़ोसी अधिकार* कहते हैं। इन्हें *व्युत्पन्न अधिकार* भी कहा जाता है।

इसके अतिरिक्त लेखक के कुछ नैतिक अधिकार भी स्वीकार किए जाते हैं।

भारत में हम सभी को प्रतिलिप्यधिकार ही कहते हैं। नैतिक अधिकारों को रचयिता के विशेष अधिकार कहते हैं। इस प्रकार हमारा नामकरण सरल और सुविधाजनक है।

प्रतिलिप्यधिकार से पुस्तक के सन्दर्भ में अभिप्रेत है :

1. किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति का उत्पादन भौतिक रूप में (material form) करना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है।
2. कृति की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करना।
3. रेडियो या टेलीविजन जैसे माध्यमों से कृति की सार्वजनिक प्रस्तुति करना, या सार्वजनिक रूप से संसूचित करना।
4. कृति की फिल्म बनाना या ध्वन्यंकन (sound recording) करना।
5. कृति का अनुवाद करना।
6. कृति का अनुकूलन करना (जैसे संक्षेपण, रूपान्तर, कहानी को नाटक बनाना आदि)।
7. अनुवादक भी रचयिता ही होते हैं, इसलिए जो अधिकार रचयिता के हैं वे अनुवादक के भी हैं। अर्थात् कृति अनुवाद हो तो रचयिता (अनुवादक) के पास उल्लिखित सभी अधिकार होंगे।

1.4 प्रतिलिप्यधिकार अधिकारों की गठरी

ऊपर बताए गए विधान के अनुसार रचनाकार के पास अनेक अधिकार हैं, उन्हें समग्र रूप से प्रतिलिप्यधिकार कहते हैं। अधिकारों की गठरी को रचयिता चाहे तो पूरा ही किसी को दे दे या उसे खोलकर हर अधिकार अलग कर बाँटे।

कुछ उदाहरणों से यह बात इस तरह स्पष्ट हो जाएगी :

1. **क** ने एक उपन्यास अंग्रेजी में लिखा। उसने पुस्तक रूप में प्रकाशन के समस्त अधिकार प्रकाशक **प** को दे दिए।
2. **क** ने पूर्वोक्त उपन्यास के अमेरिका में प्रकाशन के अधिकार **प** को, यू.के. में प्रकाशन के अधिकार **फ** को और

भारत में प्रकाशन के अधिकार **ब** को बेच दिए। यह कार्य वैध है। उसने अपने अधिकार टुकड़ों में विभाजित कर दिए। यह राज्यक्षेत्र के अनुसार विभाजन है।

3. **क** ने पूर्वोक्त उपन्यास के भारत में प्रकाशन के अधिकार अपने पास रखे और शेष विश्व के अधिकार **प** को विक्रय कर दिए। यह सम्भव है।
4. **क** ने पूर्वोक्त उपन्यास के हिन्दी में अनुवाद करने का अधिकार **ख** को विक्रय कर दिया।
5. **क** ने अपने उपन्यास को नाटक में परिवर्तित करने का अधिकार **ख** को दे दिया।
6. **क** ने फिल्म बनाने का अधिकार ख को दे दिया।
7. **क** ने टेलीविजन के लिए धारावाहिक बनाने का अधिकार **ग** को दे दिया।
8. **क** ने संक्षेप करने का अधिकार **घ** को दे दिया।
9. **क** ने उपन्यास को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने का अधिकार **च** को दे दिया।

उक्त उदाहरण में **क** ने अपने अधिकार अंशों में विभाजित कर प्रत्येक अंश अलग-अलग व्यक्ति को अन्तरित कर दिया। प्रत्येक अन्तरण विधिमान्य है।

1.5 जिन कृतियों पर प्रतिलिप्यधिकार लागू होता है

प्रतिलिप्यधिकार तीन वर्ग की कृतियों में होता है :

1. मौलिक, साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियाँ
2. चलचित्र
3. ध्वन्यंकन

प्रथम वर्ग में चार प्रवर्ग की कृतियाँ हैं :

1. साहित्यिक
2. नाट्य
3. संगीत और
4. कला की कृतियाँ।

ध्यान देने योग्य है कि इन चारो प्रकार की कृतियों का एक विश्लेषण है– मौलिक। अर्थात् प्रत्येक कृति मौलिक होनी चाहिए।

कानून की दृष्टि से मौलिक का अर्थ सामान्य बोलचाल से भिन्न है। मौलिक से यह अभिप्रेत है कि लेखक ने स्वयं लिखा है, नकल नहीं की है। उसमें कोई अपूर्व या नूतन विचार होना अपेक्षित नहीं है। मौलिकता की कोई न्यूनतम मात्रा आवश्यक नहीं है। वह किसी अन्य कृति की प्रतिलिपि नहीं होनी चाहिए। मौलिक का यह अर्थ नहीं कि कृति ऐसे क्षेत्र या विषय से सम्बद्ध हो जो अब तक अछूता था। एक ही विचार या कथानक पर अगणित पुस्तकें हो सकती हैं। प्रत्यय, विचार, कथानक या घटना पर कोई प्रतिलिप्यधिकार नहीं होता। कानून अभिव्यक्ति को संरक्षण देता है। विचार, कथावस्तु या घटना पर किसी का एकाधिकार नहीं होता।

रामकथा, हमारी फिल्म के नायक-नायिका और खलनायक वाली फिल्में, ताजमहल के फोटोचित्र आदि एक ही आधार पर निर्मित हैं। इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

साहित्यिक का इस सन्दर्भ में क्या अर्थ है यह भी विचारणीय है। कानून, किसी रचना की साहित्यिक गुणवत्ता का निर्णय नहीं करता। साहित्य के पारखियों की दृष्टि से कोई कृति सर्वथा गुणहीन हो सकती है किन्तु कानून फिर भी उसें संरक्षण

देगा। कुछ ऐसे संकलन भी होते हैं जिन्हें बोलचाल में कोई साहित्यिक कृति नहीं स्वीकारेगा, पर कानून की दृष्टि से ऐसी कृतियाँ भी साहित्यिक कृतियाँ हैं। जैसे–पहाड़े की पुस्तक, रेल समय-सारणी, डायरी, निदेशिका आदि। यहाँ साहित्यिक कृति का साहित्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।

कानून में साहित्यिक कृति से सामान्यतया तीन बातें जुड़ी होती हैं। पहली बात कि उससे जानकारी मिलती है, दूसरी बात कि उससे अनुदेश या शिक्षा मिलती है, और तीसरी बात कि उससे सुख या आनन्द प्राप्त होता है।

कानून प्रत्येक व्यक्ति के श्रम, कौशल और पूँजी से उत्पन्न कृति को संरक्षण देता है। दूसरा कोई उससे लाभ नहीं उठा सकता।

कुछ उदाहरणों से उपर्युक्त सिद्धान्त इस तरह स्पष्ट होंगे :

1. **क** ने आय-कर का हिसाब लगाने हेतु एक ऐसा *तत्काल परिकलक (ready reckoner)* तैयार किया जिससे करदाता को सरलता से ज्ञान हो जाए कि कितना आय-कर देना है।
2. **क** ने अंकगणित की एक पुस्तक लिखी।
3. **क** ने किसी विश्वविद्यालय के लिए राजनीति शास्त्र में एम.ए. की परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र तैयार किया।
4. **क** ने दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार की, जिसमें पाँच कहानियाँ, चार उपन्यासों के अंश, आठ निबन्ध और बारह कविताएँ हैं। **क** ने ये रचनाएँ स्वयं नहीं कीं। इनका संकलन तैयार किया और आवश्यकतानुसार रचनाकारों से अनुमति ले ली।
5. **क** ने भारत के सभी प्रमुख नगरों के एस.टी.डी. कोड संकलित कर प्रकाशित कराए।

पहले उदाहरण का *तत्काल परिकलक* प्रतिलिप्यधिकार कानून की दृष्टि में साहित्यिक कृति है। दूसरे, तीसरे, और पाँचवें उदाहरण की रचनाएँ साहित्यिक कृतियाँ हैं। सामान्य व्यवहार में प्रश्न-पत्र को साहित्यिक कृति नहीं कहा जाता, किन्तु कानून इसके विपरीत है। कानून का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाए कि उसकी रचना की नकल नहीं की जाए। इस उद्देश्य से यह अर्थ विस्तार है। चौथे उदाहरण में जो संकलन तैयार हुआ है वह भी साहित्यिक कृति है। कानून की दृष्टि से उसके रचयिता संकलनकर्ता हैं।

इन उदाहरणों में रचयिता ने कृति तैयार करने में श्रम किया है, अपने ज्ञान का उपयोग किया है और कुछ पूँजी भी लगाई है। कानून रचयिता को संरक्षण देगा कि कोई अन्य व्यक्ति उनकी कृति का विदोहन न करे।

कुछ और उदाहरण देखें :

1. **क** ने कुछ नारे लिखे जो छोटे-छोटे, एक या दो वाक्यों के हैं।
2. **क** ने एक शब्द गढ़ा।
3. **क** यह दावा करता है कि उसका कुलनाम (जैसे गाँधी, चन्द्रचूड़, सुब्बा, चिखलकर) ऐसी कृति है जिस पर उनका प्रतिलिप्यधिकार है।
4. **क** ने सूरदास के एक सौ पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया।
5. **क** ने गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के एक काण्ड पर भाष्य लिखा।
6. **क** ने कुछ पत्र अपने मित्र **ख** को लिखे हैं जिनमें नई साहित्यिक कृतियों की समीक्षा है।

उल्लिखित पहले उदाहरण में जो नारे हैं उन पर कोई प्रतिलिप्यधिकार नहीं होता। इस तरह छोटे-छोटे और प्रभावशील वाक्यांशों पर एकाधिकार हो जाएगा तो लोगों का अहित होगा। भाषा सार्वजनिक है। सब की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इस लोक अधिकार को परिसीमित नहीं किया जा सकता।

दूसरे उदाहरण के लिए भी समान स्थिति लागू होगी। तीसरे उदाहरण में भी कोई भिन्न बात नहीं होगी। कुलनाम किसी की विरासत नहीं होता। कोई भी कुलनाम, जातिनाम या उपनाम के रूप में उसे अपना सकता है।

चौथे उदाहरण में सूरदास के पद तो सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, क्योंकि सूरदास को दिवंगत हुए साठ वर्ष से अधिक हो गए। इसलिए उनकी रचनाएँ प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के प्रभाव से मुक्त है। उनके पद कोई भी छाप सकता है। पर उन

पदों का अनुवाद **क** की कृति है। कानून की दृष्टि से मौलिक साहित्यिक कृति है, जिसे कानून संरक्षण देगा।

पाँचवें उदाहरण में रामचरितमानस के एक काण्ड का भाष्य भी **क** की साहित्यिक कृति है। उक्त चौथे उदाहरण की स्थिति इस पर भी लागू होगी।

छठे उदाहरण में **क** के पत्रों के दो आयाम हैं। पत्र में जो अभिव्यक्ति है वह **क** की मौलिक कृति है। **ख** उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। किन्तु पत्र (अर्थात् वह कागज और उस पर लिखा लेख) **ख** की सम्पत्ति है। उसे अपने पास रखने और जरूरत पड़ने पर लोगों को दिखाने का अधिकार **ख** को है।

इसी तरह पुस्तक के शीर्षक पर भी प्रतिलिप्यधिकार नहीं होता। एक ही शीर्षक की अनेक पुस्तकें हो सकती हैं।

1.6 प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी

अब तक हमने यह देखा कि प्रतिलिप्यधिकार क्या है और किस तरह की कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार होता है। अब इस पर विचार किया जाएगा कि प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी कौन होता है।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम का आधारिक नियम यह है कि कृति का *रचयिता* उसका प्रथम स्वामी होगा। किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह स्पष्ट नहीं होता कि रचयिता कौन है। कानून के अधीन दो या अधिक संयुक्त रचयिता भी हो सकते हैं।

अधिनियम में रचयिता की परिभाषा इस तरह दी गई है :

रचयिता से अभिप्रेत है–

- # किसी साहित्यिक या नाट्य कृति के सम्बन्ध में उस कृति के रचयिता
- # किसी संगीतात्मक कृति के सम्बन्ध में संगीतकार
- # फोटोग्राफ से भिन्न किसी कलाकृति के सम्बन्ध में कलाकर
- # किसी फोटोग्राफ के सम्बन्ध में फोटोग्राफ खींचने वाला
- # किसी चलचित्र या ध्वन्यंकन के सम्बन्ध में निर्माता, और
- # किसी ऐसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति के सम्बन्ध में, जो कम्प्यूटरजनित है, वह व्यक्ति रचयिता होता है जो उस कृति का सृजन कराता है।

साधारण परिस्थितियों में रचयिता की यही परिभाषा है। आगे हम साहित्यिक कृति तक सीमित रहते हुए इस पर कुछ और गहराई से विचार करेंगे।

1. **क** को एक मासिक पत्रिका में उपसम्पादक नियुक्त किया गया। **क** को यह कार्य सौंपा गया कि वह प्रतिमास गत मास की राष्ट्रीय राजनीति पर एक टिप्पणी तैयार करे जो उस मासिक पत्रिका में छपा करेगी।

   यहाँ **क** जो आलेख तैयार करेगा उस पर पत्रिका के स्वत्वधारी (स्वामी) का प्रतिलिप्यधिकार होगा।

2. **क** और **ख** को उनके नियोजक ने तमिलनाडु के कार्तिकेय स्वामी के सात मन्दिरों का अध्ययन करके उनका इतिहास, धार्मिक महात्म्य, स्थापत्य आदि पर पुस्तक लिखने का कार्य सौंपा। **क** और **ख** ने पुस्तक लिखी। इस पुस्तक पर प्रतिलिप्यधिकार नियोजक का होगा, क्योंकि पुस्तक नियोजन की संविदा (contract of employment) के अधीन लिखी गई है।

3. **क** एक विद्यालय में गणित का शिक्षक है। **क** ने गणित के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक पर प्रतिलिप्यधिकार **क** का होगा, नियोजक का नहीं। क्योंकि उसका नियोजन कक्षा में पढ़ाने के लिए है। पुस्तक लिखने के लिए नहीं।

1.7 अधिकार प्राप्त कैसे होता है?

यह प्रश्न बहुधा पूछा जाता है कि प्रतिलिप्यधिकार कैसे प्राप्त करें? इसका उत्तर बहुत सरल है। प्रत्येक सभ्य राष्ट्र यह स्वीकार करता है कि कुछ मानवाधिकार भी होते हैं। ये अधिकार प्रत्येक मानव के हैं। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक उन अधिकारों को पाने के लिए मनुष्य होना पर्याप्त है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने कोई रचना की या कोई कृति तैयार की, उस कृति का प्रतिलिप्यधिकार उस रचयिता में अपने आप निहित होता है। इसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कोई कवि ज्यों ही कोई कविता लिखता है या कहानीकार कहानी लिखता है, उसी क्षण वह उसका प्रथम स्वामी हो जाता है।

कुछ परिस्थितियों में जब विवाद हो कि स्वामी कौन है तो जो यह दावा करता है कि वह स्वामी है उसे यह साबित करना होगा कि वह स्वामी है। यदि उसने अपने प्रतिलिप्यधिकार का पंजीकरण करा रखा है तो साबित करना सरल और सुविधाजनक होगा। वह रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र दिखा सकता है। प्रमाण-पत्र प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है।

किसी कृति के रचयिता या स्वामी या प्रकाशक या उसमें हितबद्ध व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को आवेदन देकर पंजीकरण करा सकता है। आवेदन विहित प्रारूप में होना चाहिए, उसमें विशिष्टियाँ भरनी होगी और विहित शुल्क भी देना होगा। रजिस्ट्रार (यदि जाँच करना उचित समझे तो जाँच के पश्चात्) अपने रजिस्टर में प्रविष्ट कर एक प्रमाण-पत्र दे देगा। आवेदन का प्रारूप (form) नियमों में दिया गया है। वर्तमान में प्रत्येक आवेदन के लिए शुल्क पचास रुपए है। सामान्यतया नब्बे दिन के भीतर पंजीकरण हो जाता है।

यदि पंजीकरण में नाम, पते आदि की भूल हो तो रजिस्ट्रार उसे ठीक कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रतीत होता है कि कोई प्रविष्टि गलती से की गई है या कोई त्रुटि रह गई है तो वह प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन कर सकता है। बोर्ड उसे ठीक करा देगा।

1.8 प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन (Assignment)

कृति की रचना करना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक कृतिकार यह आकांक्षा रखता है कि उसकी कृति अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे। तभी उसकी यशवृद्धि होगी। तभी धनलाभ होगा। कृतिकार के पास प्रकाशन और विपणन के साधन नहीं होते। उसे इस क्षेत्र का अनुभव भी नहीं होता। इसलिए उसे प्रकाशक से सम्बन्ध जोड़ना होता है। प्रकाशक, पुस्तक के मुद्रण और प्रकाशन में धन लगाता है। उसके पास पुस्तक वितरण का तन्त्र होता है, जिससे वह विज्ञापन और वितरण द्वारा कृति को अधिकाधिक हाथों में पहुँचा दे। यह सब वह कुछ लाभ के लिए करेगा। प्रकाशक और लेखक के संयोग से ही कृति पाठक तक पहुँचती है। किन्तु यदि प्रतिलिप्यधिकार प्रकाशक के पास नहीं हुआ तो वह धन का विनिवेश क्यों करेगा? अब प्रश्न है कि प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त कैसे हो?

इसका उत्तर है समनुदेशन (assignment)। प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी अपना अधिकार समनुदेशित कर सकता है। पहले बताया जा चुका है कि प्रतिलिप्यधिकार एक गठरी है। वह एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए अधिकार दे सकता है, एक भाषा के लिए दे सकता है, एक संस्करण के लिए दे सकता है—या इसी प्रकार अन्य विभाजन कर सकता है।

प्रकाशक उसे प्रतिफल में एकमुश्त राशि दे सकता है, प्रति पृष्ठ की दर से दे सकता है, या पुस्तक की कीमत पर प्रतिशत की दर से दे सकता है। या इसी प्रकार कोई अन्य दर जो वे आपस में तय करें, उस पर समझौता कर सकता है। कीमत की प्रतिशत दर छपे मूल्य पर नहीं होती, सामान्यतया शुद्ध कीमत या प्राप्त कीमत पर होती है। मान लीजिए पुस्तक की छपी कीमत एक सौ रुपए है और वितरक को वह साठ रुपए में बेची जाती है तो लेखक को साठ रुपए के आधार पर प्रतिशत दिया जाएगा।

समनुदेशन के लिए आवश्यक है कि—

1. वह लिखित हो।
2. उस पर रचयिता या उसके अभिकर्ता (agent) के हस्ताक्षर हों।
3. कृति की ठीक से पहचान की गई हो।
4. समनुदेशन की अवधि विनिर्दिष्ट की गई हो (जैसे दस वर्ष, पन्द्रह वर्ष आदि या फिर सम्पूर्ण अवधि के लिए)।

5. कौन से अधिकार दिए गए हैं यह बताया गया हो।

6. अधिकार का भौगोलिक क्षेत्र बताया गया हो।

7. यदि स्वामिस्व (royalty) दी गई हो तो उसकी राशि विनिर्दिष्ट हो।

ध्यातव्य है कि–

1. अवधि का उल्लेख नहीं होने पर समझा जाएगा कि समनुदेशन पाँच वर्षों के लिए है।

2. भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख नहीं होने पर समझा जाएगा कि वह भारत के लिए ही सीमित है।

1.9 समनुदेशन सम्बन्धी विवाद

समनुदेशन सम्बन्धी विवाद के निपटारे की अधिकारिता प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड में है। यह सरल और सहज प्रक्रिया है। इस विषय पर कोई विवाद उठने पर व्यथित पक्षकार बोर्ड को शिकायत कर सकता है। बोर्ड, यदि आवश्यक हो तो, जाँच करने के पश्चात् समुचित आदेश देता है। बोर्ड स्वामिस्व (royalty) के भुगतान अथवा समनुदेशन रद्द करने का आदेश भी दे सकता है।

यदि समनुदेशिती (जिसको प्रतिलिप्यधिकार दिया गया है) उसे दिए गए अधिकार का पर्याप्त प्रयोग नहीं करता है और इसमें समनुदेशक का कोई दोष नहीं है तो बोर्ड समनुदेशन रद्द कर सकता है।

उदाहरणार्थ **क** ने अपनी पुस्तक के मुद्रण का अधिकार एक प्रकाशक **प** को समनुदेशित किया। **प** ने पाँच वर्ष तक पुस्तक प्रकाशित नहीं की। इस स्थिति में **क** बोर्ड को शिकायत कर सकता है और बोर्ड समनुदेशन रद्द कर सकता है, क्योंकि समनुदेशिती ने विधानविहित अवधि में अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया।

1.10 उचित प्रयोग

प्रतिलिप्यधिकार एक प्रकार से एकाधिकार है, इसलिए कानून ने इसे सीमा में बाँध कर रखा है। रचयिता का एकाधिकार होते हुए भी साधारण जन को यह अधिकार है कि वह किसी भी कृति का उचित प्रयोग कर सकता है। इसके लिए अनुमति लेना भी आवश्यक नहीं है।

हमारे अधिनियम में विस्तार से उन कार्यों को गिनाया गया है जो करना अनुमत है अर्थात् जो उचित प्रयोग माने जाते हैं।

उदाहरण से यह सिद्धान्त और स्पष्ट होगा–

1. **क** ने एक उपन्यास की समीक्षा की। समीक्षा में आवश्यकतानुसार उपन्यास से उद्धरण दिए। यह उचित प्रयोग है।

2. **क** ने अपने अनुसन्धान (research) के लिए छह पुस्तकों से कुछ अंश उद्धृत किए। यह उचित प्रयोग है।

3. **क** ने अपने मनोरंजन और उपयोग के लिए कुछ कविताएँ नकल करके रख ली। यह उचित प्रयोग है।

4. **क** ने 25 गीत लिखे। **ख** ने एक आयोजन किया जिसमें उसने श्रोताओं के समक्ष गीत गाए। यह उचित प्रयोग नहीं है।

5. एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय किसी कवि की एक कविता सुनाई यह उचित प्रयोग है।

6. एक प्रश्न-पत्र में कविताओं के उद्धरण दिए गए। यह उचित प्रयोग है। इसी प्रकार प्रश्न-पत्र के उत्तर में कविता के उद्धरण भी उचित हैं।

7. भारत सरकार ने राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की। **ख** इसे छापकर वितरित करता है। यह उचित प्रयोग है।

8. **क** ने न्यायालय के निर्णय का प्रकाशन किया। यह उचित प्रयोग है।

9. **क** ने **ख** की हिन्दी में रचित समस्त कविताओं का ओड़िया में अनुवाद प्रकाशित किया। यह उचित प्रयोग नहीं है।

1.11 रचयिता के विशेष अधिकार

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में जिसे रचयिता के विशेष अधिकार कहा गया है उसे इंग्लैण्ड, अमेरिका आदि में नैतिक अधिकार (moral rights) कहा जाता है।

रचयिता के दो अधिकार ऐसे हैं जो प्रतिलिप्यधिकार समनुदेशित करने के बाद भी शेष रहते हैं—जब रचनाकार अपने अधिकार का आर्थिक दृष्टि से उपयोग नहीं कर सकता, तब भी ये अधिकार बने रहते हैं। ये अधिकार हैं—

1. कृति का रचयिता होने का दावा करना।
2. अपनी कृति का विरूपण, विकृत किए जाने या उपान्तरित किए जाने को रोकने का अधिकार। यह तब तो और अधिक प्रभावकारी होता है जब इससे उसकी प्रतिष्ठा या ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। इस स्थिति में रचयिता नुकसानी का दावा भी कर सकता है।

दृष्टान्त :

क ने अपने उपन्यास को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का अधिकार एक प्रकाशक **ख** को विक्रय कर दिया। **ख** उपन्यास के लेखक के रूप में **क** का ही नाम देगा किसी अन्य का नहीं।

उक्त दृष्टान्त में **ख** को ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त उपन्यास में कुछ संवाद बदल दिए जाएँ और उसका अन्त दुखान्त कर दिया जाए तो उपन्यास अधिक लोकप्रिय हो जाएगा। इस परिवर्तन को लेखक रोक सकता है।

इन अधिकारों को संक्षेप में पिता होने का अधिकार और अखण्डता का अधिकार कहते हैं।

दृष्टान्त :

क ने उपन्यास लिखा और **ख** को उस पर फिल्म बनाने का अधिकार दे दिया। फिल्म बनने के पश्चात् **क** को ज्ञात हुआ कि उसके उपन्यास में ऐसे परिवर्तन कर दिए गए हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। **क** फिल्म का प्रदर्शन रुकवा सकता है। वह नुकसानी का दावा भी कर सकता है।

1.12 प्रतिलिप्यधिकार की अवधि

प्रतिलिप्यधिकार एकाधिकार है, इसलिए यह मान्यता है कि इसकी समय सीमा होनी चाहिए। साहित्यिक रचनाओं के लिए प्रतिलिप्यधिकार की अवधि है रचयिता के जीवनकाल के साठ वर्ष बाद तक की है।

अर्थात् जब तक रचयिता जीवित है तब तक तो रहेगी ही, उनकी मृत्यु के बाद भी साठ वर्ष तक यह अधिकार बना रहेगा। उसके पश्चात् यह लोक क्षेत्र (public domain) में आ जाएगा। जैसे अब भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, सुभद्राकुमारी चौहान आदि की रचनाएँ लोक क्षेत्र में आ गई हैं। कोई भी प्रकाशक उनका प्रकाशन कर सकता है।

जिस वर्ष रचयिता की मृत्यु होती है, उसके बाद आने वाली 1 जनवरी से साठ वर्ष गिने जाते हैं। अर्थात् साठ वर्ष सदैव 31 दिसम्बर को ही समाप्त होंगे।

छद्म नाम से प्रकाशित कृति या मृत्यु के प्रश्चात् प्रकाशित कृति की दशा में साठ वर्ष की अवधि प्रकाशन वर्ष से गिनी जाती है।

यदि दो या अधिक लेखकों की कृति है तो जिस लेखक की मृत्यु सबसे अन्त में होती है उसकी मृत्यु की तारीख से गणना की जाएगी।

1.13 प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन और उपचार

जब कोई व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी की अनुज्ञप्ति (licence) के बिना या अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करके कोई कार्य करता है, या अतिलंघनकारी कृति का विक्रय या वितरण करता है या प्रदर्शित करता है या आयात करता है तो वह कार्य प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन होता है।

ऐसे अतिलंघन के विरुद्ध दो प्रकार के उपचार (relief) हैं – सिविल और दाण्डिक। सिविल उपचार में व्यादेश (injunction) आते हैं, (अर्थात् बेचने, छापने आदि से रोकना), नुकसानी (damages), हिसाब पाना आदि। इस स्थिति में अतिलंघनकारी प्रतियाँ भी स्वामी की सम्पत्ति हो जाती हैं।

दाण्डिक उपचार में कारावास और जुर्माना हो सकते हैं।

1.14 अनुवाद के लिए प्रकाशक से संविदा

यदि अनुवाद स्वान्तःसुखाय करना है और प्रकाशित करने का कोई आशय नहीं है तो मूल कृति के रचयिता से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। यदि मूल कृति लोक क्षेत्र में आ गई है अर्थात् लेखक की मृत्यु से साठ वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है तो अनुवाद के लिए अनुमति लिए बिना भी अनुवाद किया जा सकता है और प्रकाशित किया जा सकता है। किन्तु यदि प्रतिलिप्यधिकार की अवधि समाप्त नहीं हुई है और प्रकाशन का आशय है तो मूल लेखक की अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है।

जब अनुवादक को प्रकाशक कोई पुस्तक अनुवाद के लिए देता है तो अनुवादक को संविदा में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित करा लेना चाहिए। इससे बाद में विवाद नहीं होता। बहुधा लोग यह कहते पाए जाते हैं कि हमने तो संविदा को बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए थे–यह कार्य विवेकसम्मत नहीं है और इस स्थिति में कानून आपकी कोई सहायता नहीं करेगा।

निम्नलिखित बातों के लिए प्रमुखता से सावधान रहना चाहिए :

1. सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रकाशक को अनुवाद कराने का अधिकार है या नहीं।
2. सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अनुवादक का नाम पुस्तक के मुख पृष्ठ पर दिया जाएगा।
3. यदि विज्ञान, मानविकी, विधि आदि की पुस्तक है तो मानक शब्दावली का (भारत सरकार द्वारा निर्मित) प्रयोग किया जाएगा (यह बात हिन्दी के लिए लागू होगी)।
4. सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पाण्डुलिपि का प्रथम प्रारूप कितने दिनों में देना है।
5. सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रकाशक प्रथम प्रारूप की विधीक्षा कितने दिनों में करेगा।
6. सुनिश्चित होना चाहिए कि अनुवादक अन्तिम पाण्डुलिपि कितने दिनों में देगा।
7. अनुवादक को देय पारिश्रमिक तथा टंकण व्यय आदि की गणना किस दर से होगी।
8. अनुवादक को मानद कितनी प्रतियाँ दी जाएँगी। अतिरिक्त प्रतियों के क्रय में अनुवादक को कितनी रियायत मिलेगी।
9. अनुवाद का प्रतिलिप्यधिकार प्रकाशक में निहित होगा या अनुवादक में।
10. अनूदित कृति की कीमत प्रकाशक तय करेगा।
11. विवाद की दशा में मध्यस्थम् (arbitration) होगा।

1.15 सारांश

प्रतिलिप्यधिकार सृजनात्मकता का सम्मान है। सृजन से हर समाज संस्कृति की श्रीवृद्धि होती है। इसलिए सृजन की सुरक्षा आवश्यक है। वास्तविक अर्थ में यह एक तरह का निषेधकारी अधिकार है। रचयिता की अनुमति लिए बिना उसकी प्रतिलिपि बनाने से हर व्यक्ति को रोक सकता है। अपनी रचना की प्रतिलिपि तैयार करने का प्रथम अधिकार रचनाकार का है। इसलिए इस प्रतिलिप्यधिकार कहते हैं। यह एक अधिनियम से संचालित होता है। अधिनियम का

नाम प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम है किन्तु इसमें कई अन्य अधिकार भी समाविष्ट हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिलिप्यधिकार पुस्तकों और लेखकों तक सीमित था। किन्तु समय के साथ इसमें प्रस्तुतकर्ता (performer), प्रसारणकर्ता (broadcaster), नाटक के रचयिता, संगीतकार, गायक, कलाकार, फिल्म निर्माता, ध्वन्यंकनकर्ता (audio recorder), और कम्प्यूटर प्रोग्रामर भी समाविष्ट हो गए। पुस्तक के सन्दर्भ में प्रतिलिप्यधिकार से अभिप्रेत होता है–कृति का भौतिक रूप में उत्पादन करना, आम जनता को प्रतियाँ उपलब्ध कराना, रेडियो या टेलीविजन जैसे माध्यमों से कृति की सार्वजनिक प्रस्तुति करना, किसी अन्य माध्यम में कृति का अनुवाद, रूपान्तरण (संक्षेपण, रूपान्तर, कहानी को नाटक बनाना आदि) करना। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की दृष्टि से अनुवादक भी रचयिता ही होते हैं, इसलिए जो अधिकार रचयिता के हैं वे अनुवादक के भी हैं। अर्थात् कृति अनुवाद हो तो रचयिता (अनुवादक) के पास उल्लिखित सभी अधिकार होंगे।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अनुसार कृति का *रचयिता* उसका प्रथम स्वामी होता है। हर कृतिकार की आकांक्षा होती है कि उसकी कृति अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे। तभी उसकी यशवृद्धि होगी। तभी धनलाभ होगा। कृतिकार के पास प्रकाशन और विपणन के साधन नहीं होते। उसे इस क्षेत्र का अनुभव भी नहीं होता। इसलिए उसे प्रकाशक से सम्बन्ध जोड़ना होता है। प्रकाशक, पुस्तक के मुद्रण और प्रकाशन में धन लगाता है। उसके पास पुस्तक वितरण का तन्त्र होता है, जिससे वह विज्ञापन और वितरण द्वारा कृति को अधिकाधिक हाथों में पहुँचा दे। यह सब वह कुछ लाभ के लिए करेगा। प्रकाशक और लेखक के संयोग से ही कृति पाठक तक पहुँचती है। इसके लिए प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी प्रकाशक को अपना अधिकार समनुदेशित करता है। प्रथम स्वामी चाहे तो प्रकाशक को अपना अधिकार एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए दे सकता है, एक भाषा के लिए दे सकता है, एक संस्करण के लिए दे सकता है–या इसी प्रकार अन्य विभाजन कर सकता है। प्रकाशक उसे प्रतिफल में एकमुश्त राशि दे सकता है, प्रति पृष्ठ की दर से दे सकता है, या पुस्तक की कीमत पर प्रतिशत की दर से दे सकता है। या इसी प्रकार कोई अन्य दर जो वे आपस में तय करें, उस पर समझौता कर सकता है। समनुदेशन का लिखित होना आवश्यक है। प्रतिलिप्यधिकार एकाधिकार है, इसलिए यह मान्यता है कि इसकी समय सीमा होनी चाहिए। साहित्यिक रचनाओं के लिए प्रतिलिप्यधिकार की अवधि रचयिता के जीवनकाल के साठ वर्ष बाद तक की है। जब कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो वह प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन है। ऐसे अतिलंघन के विरुद्ध सिविल उपचार में विक्रय-वितरण पर रोक, नुकसानी और अतिलंघनकारी प्रतियों की जब्ती, तथा दाण्डिक उपचार में कारावास और जुर्माना हो सकता है।

स्वान्तःसुखाय अनुवाद बगैर अनुमति के भी किया जा सकता है, पर प्रकाशित कराने हेतु यदि प्रतिलिप्यधिकार की अवधि समाप्त नहीं हुई है तो मूल लेखक की अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जब अनुवादक को प्रकाशक कोई पुस्तक अनुवाद के लिए देता है तो अनुवादक को विधिवत संविदा तैयार करा लेना चाहिए। संविदा पढ़े बगैर हस्ताक्षर करना विवेकसम्मत नहीं है, इस स्थिति में कानून कोई सहायता नहीं करेगा।

सारांशतः अनुवादक को स्वयं अपने हित की रक्षा करनी चाहिए संविदा पर सावधानी से हस्ताक्षर करना चाहिए।

1.16 अभ्यास के लिए प्रश्न

1. प्रतिलिप्यधिकार से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए।
2. मुद्रण की शुरुआत कब और कहाँ हुई? कापीराइट अधिनियम कब, कहाँ, और किस उद्देश्य से लागू हुआ?
3. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम क्या है, यह किन स्थितियों में लागू होता है, यूरोप में इसे क्या कहते हैं? समीक्षा कीजिए। अपने पाठ्य-पुस्तक के आधार पर पुस्तक के सन्दर्भ में प्रतिलिप्यधिकार का अभिप्रेत बताइए।
4. प्रतिलिप्यधिकार अधिकारों की गठरी है–इस कथन की व्याख्या कीजिए।
5. प्रतिलिप्यधिकार किन कृतियों पर लागू होता है? सोदाहरण समझाइए।
6. प्रतिलिप्यधिकार के प्रथम स्वामी का तात्पर्य क्या है? स्पष्ट कीजिए।
7. प्रतिलिप्यधिकार कैसे और क्यों प्राप्त किया जाता है?
8. प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशन (Assignment) क्यों और कैसे होता है?
9. समनुदेशन सम्बन्धी विवाद किस परिस्थिति में होता है? उससे कैसे निपटा जाता है?

10. रचयिता के विशेष अधिकार क्या-क्या होते हैं? प्रतिलिप्यधिकार की अवधि क्या होती है?
11. प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन और उपचार की समीक्षा कीजिए?
12. अनुवाद के लिए प्रकाशक से संविदा पर व्यवस्थित टिप्पणी कीजिए।

1.17 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. *प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957*
2. मिश्र, जयप्रकाश(डॉ.), *बौद्धिक सम्पदा अधिकार : एक परिचय,* इलाहाबाद, सेण्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
3. Bhandari, M.K., *Intellectual Property Rights*, Allahabad, Central Law Publication.
4. खन्ना, सन्तोष, *भारतीय कानूनों का समाज शास्त्र,* दिल्ली, भारत ज्योति प्रकाशन।
5. अग्रवाल, कुष्ण गोपाल, *विधि अनुवाद : विविध आयाम,* दिल्ली, संजय प्रकाशन।
6. शर्मा, ब्रजकिशोर, *विधि की शब्दावली और विधि का अनुवाद,* नई दिल्ली, पीएचआई लर्निंग।

इकाई 2 अनुवाद और रूपान्तरण में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की भूमिका

इकाई की रूपरेखा

2.1 उद्देश्य

2.2 प्रस्तावना

2.3 अनुवाद और रूपान्तरण में प्रतिलिप्यधिकार (धारा 13)

2.4 अनुवाद की अनुमति

2.5 नियोजन के दौरान कृत कार्य

2.6 कम्प्यूटर प्रोग्राम और अनुवाद

2.7 अनुवाद के लिए लाइसेन्स (धारा 30 एवं 32)

2.8 अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेन्स

2.9 प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स

2.10 लाइसेन्स की शर्तें

2.11 प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया

2.12 लाइसेन्स के लिए आवेदन प्रक्रिया

2.13 प्रसारण प्राधिकरण और अनुवाद का लाइसेन्स

2.14 रूपान्तरण का अर्थ

2.15 प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन और दण्ड

2.16 सारांश

2.17 शब्दावली

2.18 अभ्यास के लिए प्रश्न

2.19 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.1 उद्देश्य

यह इकाई अनुवाद और रूपान्तरण में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की भूमिका से सम्बन्धित है। इस इकाई को पढ़ने से अनुवाद अध्ययन में एम. ए. करनेवाले शिक्षार्थियों को अनुवाद और रूपान्तरण में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की भूमिका की संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि

- किस कृति में प्रतिलिप्यधिकार होता है।
- अनुवाद और रूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी कौन होता है।
- किसी कृति के अनुवाद एवं प्रकाशन के लिए लाइसेन्स किससे और कैसे मिल सकता है।
- प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन कब माना जाता है।

2.2 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने *प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957* के विषय में जाना। यह खण्ड अनुवाद और रूपान्तरण में प्रतिलिप्यधिकार कानून की भूमिका से सम्बन्धित है। *प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957* में अनुवाद और रूपान्तरण में प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी अधिकार भी दिए गए हैं।

प्रतिलिप्यधिकार को आजकल बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Intellectual Property Rights) के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिलिप्यधिकार का आधार यह है कि कानून किसी व्यक्ति के कौशल, श्रम, समय एवं पूँजी से तैयार किसी वस्तु का अनुमति लिए बिना किसी अन्य व्यक्ति को लाभ उठाने की इज़ाजत नहीं देता। जिस व्यक्ति ने जो कृति अपने परिश्रम एवं कौशल से तैयार की है, उस पर उसी का अधिकार होता है। किसी कृति का रचनाकार उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी होता है। अतः प्रतिलिप्यधिकार कानून का उद्देश्य किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार की रक्षा करना और उसके अतिलंघन पर दण्ड और जुर्माने की व्यवस्था करना है।

विश्व की भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान में वृद्धि के कारण प्रतिलिप्यधिकार कानून में अनुवाद और रूपान्तरण के सम्बन्ध में कई नए प्रावधान किए गए हैं। अब किसी कृति के रचनाकार से बिना उसकी अनुमति लिए अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से बिना लाइसेन्स लिए किसी कृति का अनुवाद अथवा रूपान्तरण नहीं किया जा सकता।

2.3 अनुवाद और रूपान्तरण में प्रतिलिप्यधिकार (धारा 13)

किसी भी कृति का प्रतिलिप्यधिकार सामान्यतया रचनाकार में निहित रहता है। यहाँ सब से पहले हमें जानना होगा कि वास्तव में कृति का अर्थ क्या होता है, जिसके अनुवाद के लिए रचनाकार अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से अनुमति की जरूरत पड़ती है। चूँकि अनुवाद स्वयं में एक साहित्यिक कार्य है और उसमें प्रतिलिप्यधिकार के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अतः अनुवाद अथवा उसके प्रकाशन के लिए समूचे भारत में निम्नलिखित कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार होता है :

- # मौलिक साहित्यिक, नाट्य, संगीत एवं कला कृति
- # सिने फिल्म
- # ध्वनि निर्माण
- # कम्प्यूटर प्रोग्राम

यदि कोई सिने फिल्म किसी अन्य कृति के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन कर बनाई गई हो, उसमें प्रतिलिप्यधिकार नहीं होगा। कारण, निर्माता स्वयं उस रचना के क्रम में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम का अतिलंघन कर चुके हैं। उदाहरण से इसे इस तरह स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी कृति के अनुवाद पर आधारित फिल्म यदि कृति के अनुवाद की अनुमति के बिना बनाई गई हो तो उसमें निर्माता के पास प्रतिलिप्यधिकार नहीं होगा। कोई साउण्ड रिकार्डिंग तैयार की जाती है, किन्तु उसे बनाने में किसी साहित्यिक, नाट्य अथवा संगीत रचना के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन किया गया है, तो उस ध्वनि निर्माण रचना में भी प्रतिलिप्यधिकार नहीं होगा, अर्थात् जो निर्माता बिना अनुमति के कृति आधारित फिल्म का निर्माण करेगा अथवा ध्वनि निर्माण करेगा, उसमें उसका प्रतिलिप्यधिकार नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उस फिल्म अथवा ध्वनि निर्माण का उसके निर्माता की बिना अनुमति से कहीं प्रयोग करेगा तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इसलिए किसी कृति के अनुवाद अथवा रूपान्तरण के लिए अनुमति लेने से पहले यह जानना चाहिए कि उस कृति में किसका प्रतिलिप्यधिकार है।

साहित्यिक और नाट्य आदि कृतियों का रचनाकार उनका लेखक होता है। संगीत रचना का रचनाकार उसका संगीतकार होता है। सिने फिल्म का रचनाकार फिल्म निर्माता और ध्वनि रिकार्डिंग का ध्वनि निर्माता होता है। दूसरे शब्दों में फिल्म निर्माता या ध्वनि रिकार्डिंग निर्माता को उनका लेखक माना जाता है। कलाकृति का रचनाकार उसका कलाकार होता है। जहाँ तक कम्प्यूटर जनित साहित्यिक, नाट्य, संगीत अथवा कला कृति का सम्बन्ध है, उनका रचनाकार वह व्यक्ति होता है जो कम्प्यूटर प्रोग्राम तैयार करता है।

2.4 अनुवाद की अनुमति

उल्लिखित में से किसी कृति अथवा रचना का अनुवाद अथवा रूपान्तरण करना हो तो सर्वप्रथम, इस बात का पता लगाना होगा कि उस रचना विशेष का रचनाकार कौन है? यह भी पता लगाने की जरूरत होती है कि किसी कृति विशेष का प्रतिलिप्यधिकार किसके पास है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब किसी लेखक ने किसी कृति में अपने प्रतिलिप्यधिकार के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर दिया हो अथवा अपना प्रतिलिप्यधिकार किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित (Assign) कर दिया हो अथवा जब लेखक या निर्माता अज्ञात हो अथवा उसकी मृत्यु हो चुकी हो। अतः जब किसी कृति का अनुवाद करना हो या रूपान्तरण करना हो, तो उसके लिए विधिवत पहले अनुमति लेना जरूरी होता है। कानूनी अनुमति लिए बिना अनुवाद अथवा रूपान्तरण करना प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का अतिलंघन माना जाएगा और अतिलंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

2.5 नियोजन के दौरान कृत कार्य

यदि किसी साहित्यिक, नाट्य अथवा कला कृति का लेखन अथवा अनुवाद किसी समाचार पत्र, पत्रिका आदि में प्रकाशन के लिए किया जाता है तो उस समाचार पत्र, पत्रिका आदि के स्वामी के रोजगार में रहकर, तैयार (अनुवाद अथवा रूपान्तरण) की गई कृति में प्रतिलिप्यधिकार उस समाचार पत्र, पत्रिका आदि के स्वामी का माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि सेवा के दौरान इस प्रकार का करार होने पर ही वह अधिकार समाचार पत्र, पत्रिका के स्वामी का माना जाएगा अन्यथा प्रतिलिप्यधिकार रचनाकार का ही माना जाएगा। इसके अलावा, समाचार पत्र, पत्रिका के स्वामी का प्रतिलिप्यधिकार केवल उस समाचार पत्र, पत्रिका आदि में प्रकाशन तक ही सीमित होगा।

सरकारी कार्य या किसी अन्य उपक्रम के कार्य का प्रतिलिप्यधिकार सरकार या उपक्रम में निहित होता है। यदि इस बारे में किसी प्रकार का करार हो तो वह प्रतिलिप्यधिकार उस करार के अन्तर्गत रचनाकार का होगा।

यदि कोई नाटककार किसी सोसाइटी अथवा संस्था के लिए नाटक लिखता है या उसका अनुवाद करता है, और उसके सम्बन्ध में कोई स्पष्ट करार नहीं हुआ होता है तो प्रतिलिप्यधिकार नाटककार अथवा अनुवाद करने वाले अनुवादक में निहित होगा।

यदि कोई अनुवादक अपने कार्यस्थल पर अपने काम के घण्टों के दौरान किसी कृति अथवा सामग्री का अनुवाद करता है, तो रोजगार की अवधि के दौरान (In the course of employment) किए जाने वाले कार्य होने के कारण उन अनुवादों में प्रतिलिप्यधिकार नियोजक में ही रहता है। अनुवादक के कार्य में जिस कृति को तैयार करने में श्रम, कौशल और समय लगता है, उसे साहित्यिक कृति माना जाता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी साहित्यिक, नाट्य अथवा संगीत रचना के सम्बन्ध में अनुवाद का प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त कर लेता है तो उस अनुवादक को उस कृति के सम्बन्ध में निम्नलिखित अधिकार मिल जाते हैं :

1. अनूदित कृति का पुनरुत्पादन या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संग्रहण करना
2. अनूदित कृति को सार्वजनिक रूप से जारी करना
3. अनूदित कृति की सार्वजनिक प्रस्तुति अथवा उसका सार्वजनिक सम्प्रेषण करना
4. अनूदित कृति आधारित फिल्म निर्माण या ध्वनि निर्माण
5. अनूदित कृति का अनुवाद करना
6. अनूदित कृति का रूपान्तरण करना

2.6 कम्प्यूटर प्रोग्राम और अनुवाद

कम्प्यूटर प्रोग्राम के अनुवाद के सम्बन्ध में प्रतिलिप्यधिकार का अर्थ

सूचना क्रान्ति के इस युग में कम्प्यूटर प्रोग्रामों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। कम्प्यूटर प्रोग्राम से अभिप्रेत है शब्दों, संकेतों आदि के माध्यम से अभिव्यक्त निर्देश। कम्प्यूटर के साफ्टवेयर के अन्तर्गत मैनुअल, पत्र आदि आते हैं।

कम्प्यूटर के संचालन के लिए बनने वाले साफ्टवेयर साहित्यिक कृति के अन्तर्गत आते हैं। पंच किए जाने वाले कार्डों में जो सूचना रहती है उसे भी साहित्यिक कृति ही माना जाता है। मैगनेट टेप, डिस्क तथा फ्लापी, जिसमें सूचनाएँ संगृहीत होती हैं, साहित्यिक कृति कहलाती है। जब इनमें से किसी साफ्टवेयर आदि का अनुवाद किया जाना हो तो इसके प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी से अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी वयक्ति से अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से आवेदन कर अनुवाद के लिए लाइसेन्स लेना होता है। जिस व्यक्ति के पास उस साफ्टवेयर के अनुवाद और प्रकाशन की अनुमति अथवा लाइसेन्स होता है उसे इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं :

1. वह कम्प्यूटर प्रोग्राम का अनुवाद कर उसका प्रकाशन कर सकता है अथवा उसका किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संग्रहण कर सकता है।
2. उसको सार्वजनिक रूप से जारी कर सकता है।
3. उसकी सार्वजनिक प्रस्तुति अथवा उसका सम्प्रेषण कर सकता है।
4. उस पर फिल्म का निर्माण अथवा ध्वनि रिकार्डिंग कर सकता है।
5. उसका अनुवाद कर सकता है
6. उसका रूपान्तरण कर सकता है
7. उस कृति को किराए पर दे सकता है
8. उसका विक्रय कर सकता है
9. उसे वाणिज्यिक किराए पर दे अथवा बेच सकता है।

इससे पता चलता है कि प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को कृति विशेष के सम्बन्ध में कोई एक अधिकार नहीं, बल्कि अधिकारों का एक पुलिन्दा होता है। इनमें से कुछ अधिकार समनुदेशन या चिरभोग के माध्यम से दूसरों को दे दिए जाने के पश्चात भी शेष अधिकार प्रतिलिप्यधिकार स्वामी में ही निहित रहते हैं।

2.7 अनुवाद के लिए लाइसेन्स (धारा 30 एवं 32)

किसी भारतीय अथवा विदेशी कृति का अनुवाद किसी भी भाषा में किया जा सकता है। लेखक को किसी कृति के प्रथम प्रकाशन के बाद सात वर्ष की अवधि तक उसके अनुवाद का अनन्य अधिकार होता है। वह इस अवधि में उस कृति का अनुवाद कर या करा सकता है और वह उसका अनुवाद नहीं भी कर या करा सकता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति उस कृति का अनुवाद करना चाहता है तो इस सात वर्ष की अवधि के भीतर उसे लेखक से अनुमति लेनी होगी। शिक्षण और शोध के लिए किसी कृति के अनुवाद के लिए भी लाइसेन्स की आवश्यकता है। आगे के अंश में इन बातों पर विस्तार से चर्चा होगी।

2.8 अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेन्स

किसी कृति के अनुवाद के लिए दो प्रकार के लाइसेन्सों की व्यवस्था है। पहला स्वैच्छिक लाइसेन्स वह है, जिसमें कोई लेखक अथवा प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अपनी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को कृति के पुनरुत्पादन, अनुवाद अथवा प्रकाशन या कि रूपान्तरण के लिए दे सकता है। दूसरा, अनिवार्य लाइसेन्स है, यह लाइसेन्स किन्हीं स्थितियों में कोई भी व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से आवेदन कर प्राप्त कर सकता है। हम पहले स्वैच्छिक लाइसेन्स के बारे में चर्चा करेंगे।

किसी प्रकाशित साहित्यिक अथवा नाट्य कृति अथवा भविष्य में प्रकाशित होने वाली साहित्यिक अथवा नाट्य कृति के अनुवाद के सम्बन्ध में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी अपनी कृति के अनुवाद के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति

को हस्तान्तरित कर सकता है। इसके लिए शर्त है कि अनुवाद का अधिकार भविष्य में प्रकाशित होने वाली कृति में तभी प्रभावी होगा जब कृति तैयार हो जाएगी। किसी कृति के अनुवाद के लिए लाइसेन्स देने की प्रक्रिया यह है कि कृति का लेखक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति लिखित रूप से यह लाइसेन्स देगा। इस लाइसेन्स पर उसके अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। तथ्य है कि मूल साहित्यक अथवा नाट्य कृति में प्रतिलिप्यधिकार लेखक का होता है। वह चाहे तो ऐसी कृतियों के अनुवाद का अधिकार किसी व्यक्ति को दे सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुवाद के सम्बन्ध में भारतीय कृतियों के लिए लेखक का यह अधिकार कृति के प्रथम प्रकाशन से सात वर्ष तक रहता है। कोई अन्य व्यक्ति उस कृति से किसी भाषा में अनुवाद के लिए लाइसेन्स हेतु प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से आवेदन उक्त अवधि बीत जाने के बाद ही कर सकता है। यदि लेखक किसी कृति के प्रथम प्रकाशन के सात वर्ष की अवधि के भीतर किसी को उस कृति के अनुवाद का लाइसेन्स देता है, और कृति के प्रकाशन से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में उसके कानूनी वारिसों को उस लाइसेन्स से होने वाले लाभ मिलेंगे अर्थात् उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन से मिलने वाली रायल्टी उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगी।

2.9 प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स

किसी साहित्यिक एवं नाट्य कृति के प्रथम प्रकाशन के सात वर्ष के भीतर यदि उस कृति के आवेदन पत्र में उल्लिखित भाषा में अनुवाद प्रकाशित न किया हो तो कोई अन्य व्यक्ति उस अवधि के भीतर भी उस कृति के अनुवाद के लाइसेन्स के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, उस कृति के प्रथम प्रकाशन की सात वर्ष की अवधि के भीतर उस कृति का किसी भाषा में अनुवाद प्रकाशित हुआ हो, किन्तु उसकी प्रतियाँ समाप्त हो गई हो, तो भी उस कृति के उस भाषा में अनुवाद और प्रकाशन के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स के लिए आवेदन किया जा सकता है।

2.10 लाइसेन्स की शर्तें

किसी मूल साहित्यिक एवं नाट्य कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स के लिए आवेदन करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। आवेदक को एक निर्धारित प्रपत्र-2 में आवेदन करना होता है। उसे उस प्रपत्र को विधिवत् भर लेने के बाद कुछ शर्तों का अनुपालन करना होता है :

- किसी कृति के प्रथम प्रकाशन के सात वर्ष की अवधि के भीतर यदि कोई व्यक्ति उस कृति के अनुवाद का लाइसेन्स लेना चाहता है तो आवेदक को प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष यह सिद्ध करना होता है कि उन्होंने इस कृति के लेखक अथवा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी से उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए प्राधिकृत करने का अनुरोध किया था किन्तु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
- अनुवादक ने अपनी ओर से प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का पता लगाने का समुचित प्रयास किया, किन्तु जानकारी हासिल करने में सफलता नहीं मिल सकी। उस स्थिति में उन्होंने उस प्रकाशक को, जिसका नाम कृति पर प्रकाशित है, पंजीकृत डाक से उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए उन्हें प्राधिकृत करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा। उस पत्र को भेजे दो महीने की अवधि हो जाने पर भी उन्होंने उनके अनुरोध पर उन्हें उस कृति के अनुवाद के लिए प्राधिकृत नहीं किया। यदि आवेदक इन बातों को सिद्ध कर देता है तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड उसे नियमानुसार लाइसेन्स जारी कर सकता है।

शिक्षण अथवा शोध के लिए अनुवाद का लाइसेन्स (धारा 32)

यदि किसी विदेशी साहित्यक अथवा नाट्य कृति का शिक्षण, ज्ञान अथवा शोध के लिए अनुवाद और प्रकाशन किया जाना हो तो उसके लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसा आवेदन उस विदेशी कृति के प्रथम प्रकाशन के तीन वर्ष के बाद किया जा सकता है। यदि यह अनुवाद एवं प्रकाशन किसी ऐसी भाषा में किया जाना है जो किसी विकसित देश में आम प्रयोग में नहीं है तो उस कृति के प्रथम प्रकाशन के एक वर्ष के बाद भी उसके अनुवाद और प्रकाशन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

शिक्षण, ज्ञान अथवा शोध के लिए किसी विदेशी कृति के अनुवाद और प्रकाशन का लाइसेन्स लेने हेतु कुछ शर्तों का अनुपालन आवश्यक होता है :

- आवेदक कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को निर्धारित रायल्टी देगा। रायल्टी बेची गई अनूदित कृति की प्रत्येक प्रति पर दी जाएगी। इस रायल्टी का निर्धारण प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा निर्धारित रीति से किया जाएगा।
- उक्त विदेशी अनूदित कृति का निर्यात नहीं किया जाएगा और अनूदित कृति की प्रत्येक प्रति पर यह सूचना प्रकाशित की जाएगी कि 'कृति केवल भारत में वितरण के लिए है।' यदि अनुवाद की भाषा जर्मन, फ्रांसिसी और अंग्रेजी से इतर हो तो उस अनूदित कृति का सरकार अथवा सरकार के अन्तर्गत किसी प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों अथवा उनके सन्धों (allied) के लिए निर्यात किया जा सकता है। परन्तु वह निर्यात शिक्षण, शोध आदि के लिए किया जा सकता है। किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उसका निर्यात नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, निर्यात के लिए उस देश की सरकार से अनुमति भी ली जानी होगी।
- इसके अलावा, किसी कृति के प्रकाशन के तीन वर्ष के भीतर अथवा एक वर्ष के भीतर भी, जैसा भी मामला हो, यदि उसके प्रतिलिप्यधिकार स्वामी ने उसका अनुवाद प्रकाशित न किया हो; अनुवाद प्रकाशित किया हो, किन्तु उसकी प्रतियाँ समाप्त हो गई हों, तो कोई व्यक्ति उसके अनुवाद और प्रकाशन के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स लेने के लिए आवेदन कर सकता है।
- इसके लिए आवेदक को प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष यह सिद्ध करना होगा कि उसने प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए प्राधिकृत करने का अनुरोध किया था, किन्तु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, अथवा उसने ऐसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता लगाने का समुचित प्रयास किया, किन्तु जानकारी हासिल करने में सफलता नहीं मिल सकी।
- जहाँ आवेदक उस कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता नहीं लगा सका, उस स्थिति में उन्होंने कृति पर प्रकाशित प्रकाशक को पंजीकृत हवाई डाक से उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए उसे प्राधिकृत करने हेतु अनुरोध-पत्र भेजा था और उस अनुरोध-पत्र को भेजे हुए छह महीने की अवधि हो गई है अथवा एक वर्ष की अवधि के प्रतिलिप्यधिकार स्वामित्व वाली कृति के सम्बन्ध में उसे ऐसा अनुरोध किए हुए नौ महीने की अवधि हो गई है। छह महीने अथवा नौ महीने की अवधि, जैसा भी मामला हो, में भी प्रतिलिप्यधिकार स्वामी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति ने उस कृति का उनके आवेदन पत्र में उल्लिखित भाषा में अनुवाद प्रकाशित नहीं किया है। लेखक ने कृति की प्रतियों को परिचालन से वापस ले लिया है। उस स्थिति में प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड आवेदक को उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन का लाइसेन्स जारी कर सकता है।

आवेदन पत्र की नोटिस जारी करना

जब प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को किसी कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होगा तो वह यथाशीघ्र उस आवेदन पत्र की नोटिस शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा और अगर वह उचित समझेगा तो इस नोटिस को एक अथवा दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराएगा। इसके अलावा, यदि सम्भव हो तो प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को भी उसकी सूचना भेजी जाएगी। इस प्रकार भेजे जाने वाले नोटिस में निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाएगा :

- आवेदन पत्र की तारीख
- आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
- अनुवाद की जाने वाली कृति का विवरण
- कृति के प्रथम प्रकाशन की तिथि तथा देश का नाम

- आवेदन पत्र में वर्णित प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का नाम, पता और राष्ट्रीयता
- उस भाषा का नाम जिसमें अनुवाद किया जाना है
- प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में दर्ज पंजीकृत संख्या, यदि कोई हो।

इस नोटिस के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 120 दिन के बाद ही प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड उस आवेदन पत्र पर विचार करेगा। उससे पहले उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.11 प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड लाइसेन्स देने से पहले भली-भाँति सुनिश्चित कर लेगा कि :

- आवेदक उस कृति का सही अनुवाद करने तथा उसका प्रकाशन करने हेतु सक्षम है और उसके पास प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को रायल्टी देने के साधन मौजूद हैं।

  इसके साथ ही लाइसेन्स देने से पहले यदि सम्भव हो तो प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
- लाइसेन्स मिलने पर आवेदक अनुवाद की गई कृति की हर प्रकाशित प्रति पर लेखक का नाम तथा पुस्तक का शीर्षक प्रकाशित करेगा।
- यह भी उल्लेखनीय है कि जिन कृतियों का शोध के प्रयोजनों के लिए अनुवाद किया जाता है, उसमें औद्योगिक शोध शामिल नहीं है। इसके अलावा, उसमें निगमित निकायों (इनमें सरकार के स्वामित्व अथवा नियन्त्रणाधीन निगमित निकाय शामिल नहीं है) तथा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बने अन्य सन्धों (allied) या निकायों द्वारा भी शोध शामिल नहीं है।
- शिक्षण, ज्ञान, शोध आदि प्रयोजनों में शिक्षा संस्थानों, जिनमें स्कूल, कॉलेज विश्वविद्यालय, शामिल हैं, में सभी स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था करना शामिल है।

2.12 लाइसेन्स के लिए आवेदन प्रक्रिया

किसी विदेशी कृति के शिक्षण और शोध के लिए अनुवाद और प्रकाशन हेतु प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स के आवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित रूप से आवेदन पत्र तैयार करना होता है :

- आवेदन पत्र प्रपत्र-2 में विधिवत् भरकर प्रस्तुत किया जाएगा।
- आवेदन पत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।
- आवेदन पत्र केवल एक कृति के अनुवाद के लिए तथा उसके एक ही भाषा में अनुवाद के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- आवेदन पत्र के साथ निर्धारित लाइसेन्स फीस जमा करनी होगी। आवेदन पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाएँगे।

अप्रकाशित भारतीय कृतियों के अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेन्स (धारा 31)

किसी लेखक ने अपने परिश्रम, कौशल, समय और पूँजी से किसी कृति की रचना की और उसके प्रकाशन से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई; इसी तरह किसी कृति के रचनाकार का पता न लग पाए; तो वह कृति लोगों तक पहुँचनी चाहिए। रचनाकार की मृत्यु की स्थिति में यदि परिवार वाले उस अप्रकाशित कृति का प्रकाशन अथवा उसका अनुवाद करा कर प्रकाशन करा देते हैं तो उस कृति में निहित ज्ञान अथवा भाव सम्पदा से लोग परिचित हो सकते हैं। यदि परिवार वाले उस कृति का प्रकाशन नहीं कराते, जैसा कि आम तौर पर होता है, उस स्थिति में सरकार को यदि प्रतीत होता है कि उस अप्रकाशित कृति के अनुवाद प्रकाशन आदि का कार्य राष्ट्रीय हित में है, तो सरकार

को यह अधिकार प्राप्त है कि वह परिवार वालों को एक निश्चित अवधि में उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन का निर्देश दे।

यदि मृत लेखक के कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि आदि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उस कृति का अनुवाद और प्रकाशन नहीं करते हैं तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए लाइसेन्स प्रदान कर सकता है।

भारत के ऐसे किसी लेखक की कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लाइसेन्स के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को देश के प्रमुख भागों में बिकनेवाले अंग्रेजी के किसी दैनिक समाचार पत्र में उस कृति के अनुवाद तथा प्रकाशन के प्रस्तावों की सूचना को प्रकाशित करवाना होता है। इसके साथ ही उसे उस भाषा के समाचार पत्र में भी उस सूचना को प्रकाशित करवाना होता है जिसमें उस अप्रकाशित कृति का अनुवाद किया जाना हो। इस प्रकार, समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का उद्देश्य यह है कि यदि लेखक अज्ञात है अथवा कृति का प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता नहीं मालूम है तो समाचार पत्र पढ़ने के बाद लेखक अथवा प्रतिलिप्यधिकार स्वामी आगे आ कर अपना दावा पेश करे। आवेदन पत्र के साथ ऐसे समाचार पत्रों की प्रतियाँ संलग्न करने के अतिरिक्त प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के पास निर्धारित लाइसेन्स फीस भी जमा करानी होती है।

भारतीय कृतियों के अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेन्स(धारा 31)

यदि किसी कृति के रचनाकार अथवा प्रतिलिप्यधिकार स्वामी कृति अथवा अनूदित कृति के पुनर्प्रकाशन की अनुमति न दे, तो यह कृति को जनता से विधारित (withheld) माना जाता है, अर्थात् जनता तक कृति की पहुँच पर रोक। जबकि तथ्य है कि जनता तक कृति की पहुँच ही हर रचना का उद्देश्य होता है। कई बार लेखक अपनी कृति के पुनर्प्रकाशन का सीधा इनकार न कर अनुचित माँग रख देते हैं। उस तरह की अनुचित माँग भी लेखक का इनकार ही माना जाएगा।

यदि किसी साहित्यिक, नाट्य अथवा संगीत सम्बन्धी भारतीय कृति (भारतीय कृति का अर्थ है जिस कृति का लेखक भारत का नागरिक हो अथवा उस कृति का प्रथम प्रकाशन भारत में हुआ हो) का प्रकाशन किया अथवा उसकी सार्वजनिक प्रस्तुति की गई, और उसके पुनर्प्रकाशन अथवा पुनः सार्वजनिक प्रस्तुति की अनुमति किसी अन्य व्यक्ति को देने से प्रतिलिप्यधिकार स्वामी ने इनकार कर दिया, जिस कारण वह कृति जनता से विधारित (withheld) हो गई, अर्थात् वह जनता तक नहीं पहुँच रही–ऐसी स्थिति में प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड उक्त अनिवार्य लाइसेन्स जारी करता है। इसी प्रकार, यदि कोई प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अधिमान्य समुचित शर्तों के साथ किए गए अनुरोध के बावजूद किसी प्रसारण अथवा ध्वनि रिकार्डिंग के सम्प्रेषण से इनकार कर दे, तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड ऐसे प्रसारण अथवा ध्वनि रिकार्डिंग के सम्प्रेषण के लिए अनिवार्य लाइसेन्स जारी कर सकता है।

आवेदन पत्र पर विचार करने की प्रक्रिया

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के पास किसी अप्रकाशित कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लाइसेन्स के लिए निर्धारित लाइसेन्स फीस के साथ तीन प्रतियों में विहित प्रपत्र-2 में आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड उस पर विचार आरम्भ करता है। सर्वप्रथम, उस कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को उस आवेदन पत्र की एक प्रति पंजीकृत डाक से भेजी जाती है। कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अज्ञात हो अथवा उनका पता न लगाया जा सका हो तो उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार में किसी प्रकार के अधिकार का दावा करने वालों के लिए शासकीय राजपत्र में नोटिस प्रकाशित करवाया जाता है। उस व्यक्ति की सुनवाई करने और उससे उचित साक्ष्य लेने के बाद ही उचित निर्णय लिया जाता है। आवेदक को रायल्टी की राशि भारत के किसी लोक लेखा में एक निर्धारित अवधि के लिए जमा करना होता है। यदि उस अवधि के दौरान लेखक अथवा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का पता चलता है तो वह लेखक अथवा प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अथवा उसके कानूनी उत्तराधिकारी अथवा कानूनी प्रतिनिधि रायल्टी के लिए दावा कर सकता है। प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड लाइसेन्स देने से पहले कुछ अन्य शर्तें भी निर्धारित करता है। इस प्रकार, प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के निदेर्शों के अनुसार प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार आवेदक को लाइसेन्स जारी कर देता है।

शर्तों का निर्धारण

ऐसा लाइसेन्स जारी करते हुए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की जाएँगी :

- कृति के प्रकाशन की अवधि।
- कृति में प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को कृति की बेची गई हर प्रति पर देय रायल्टी की दर।
- अनुवाद और प्रकाशन की भाषा।
- उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम जिन्हें रायल्टी दी जानी होगी।

इस प्रकार प्रदान किए गए लाइसेन्स की सूचना यथाशीघ्र सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी तथा लाइसेन्स की एक प्रति दूसरे पक्षकार को भेज दी जाएगी (नियम 11 क)।

शिक्षा के लिए कृतियों के अनुवाद का लाइसेन्स

जब किसी साहित्यक, वैज्ञानिक अथवा अन्य कला कृति के प्रथम प्रकाशन के बाद निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उस कृति के संस्करण की प्रतियाँ भारत में उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा छह महीने के बाद भी आम जनता के लिए अथवा शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध नहीं होती हैं, या कि प्रतियाँ भारत में उसी मूल्य पर उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं जिस पर उसी विषय में उसी स्तर की कृति बेची जाती है तो कोई भी व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से ऐसी कृति के पुनरुत्पादन और प्रकाशन के लाइसेन्स के लिए आवेदन कर सकता है। अगर उसे इसके लिए लाइसेन्स मिल जाता है तो वह उस प्रकाशन को उस मूल्य पर अथवा उससे कम मूल्य पर बेचेगा जिस मूल्य पर उसी प्रकार का संस्करण शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों के लिए बेचा जाता है।

अनुवाद की भाषा

यदि अनुवाद के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ने उस कृति का अनुवाद ऐसी भाषा में किया है जो भारत में आम प्रयोग में नहीं है तो उसके अनुवाद के लिए लाइसेन्स जारी नहीं किया जाएगा। उदाहरणार्थ किसी जर्मन कृति का फ्रांसिसी भाषा में अनुवाद किया गया है तो भारत में ऐसी कृति के पुनरुत्पादन और प्रकाशन का किसी को लाइसेन्स नहीं दिया जाएगा क्योंकि फ्रांसिसी भाषा यहाँ आम प्रयोग में नहीं है। किन्तु इसी जर्मन कृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है और उसकी प्रतियाँ भारत में उपलब्ध नहीं कराई गई हैं तो उसके पुनरुत्पादन और प्रकाशन का लाइसेन्स जारी किया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा भारत में आम प्रयोग में है।

पुनरुत्पादन के लिए निर्धारित अवधि

कथा साहित्य, काव्य, नाटक, संगीत तथा कला कृतियों की स्थिति में कृति के प्रथम प्रकाशन के सात वर्ष बाद पुनरुत्पादन और प्रकाशन के लिए लाइसेन्स लिया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित अथवा प्रौद्योगिकी विषय की कृतियों की स्थिति में यह अवधि तीन वर्ष की होती है और अन्य कृतियों के मामले में यह अवधि पाँच वर्ष की होती है। यह लाइसेन्स अनन्य नहीं होगा। आवेदक को बेची गई प्रत्येक प्रति पर रायल्टी देनी होगी। रायल्टी की दर प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा निर्धारित रीति से तय की जाएगी। उस कृति का भारत के बाहर निर्यात नहीं किया जाएगा।

- लाइसेन्स जारी करने से पहले प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड अपना समाधान करेगा कि आवेदक कृति का सही अनुवाद और प्रकाशन करने में सक्षम है और उसके पास प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को निर्धारित रायल्टी देने के साधन हैं।
- आवेदक उस कृति को प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचेगा।
- लाइसेन्स जारी करने से पहले यदि सम्भव हो तो प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

2.13 प्रसारण प्राधिकरण और अनुवाद का लाइसेन्स

आजकल बड़े पैमाने पर प्रसारण प्राधिकरण वजूद में आ रहे हैं और उन्हें शिक्षण और शोध सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए कृतियों और अनुवादों की आवश्यकता होती है। उन्हें बड़े पैमाने पर श्रव्य-दृश्य माध्यमों से प्रसारण करना होता है। अतः उन्हें भी यह अधिकार दे दिया गया है कि वह शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों के लिए विदेशी कृतियों के अनुवाद करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स ले सके।

यह अनुवाद शिक्षण अथवा किसी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञों के किसी विशेषीकृत, तकनीकी अथवा वैज्ञानिक शोध के परिणामों के प्रसारण के लिए होगा। अनुवाद आदि के लाइसेन्स के लिए प्रसारण प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। उसे उस आवेदन पत्र के साथ निर्धारित फीस भी जमा करानी होगी।

अनूदित कृति का निर्यात

अंग्रेजी, फ्रांसिसी अथवा स्पेनिश से इतर भाषा की किसी कृति की अनूदित एवं प्रकाशित कृति का सरकार अथवा सरकार के अन्तर्गत किसी प्राधिकरण द्वारा निर्यात किया जा सकता है, यह निर्यात भारत के बाहर रहने वाले भारतीय को अथवा उनके सन्धों को किया जा सकता है। इन कृतियों का प्रयोग वहाँ शिक्षण और शोध के प्रयोजन के लिए किया जाएगा, किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं। वैसे भी निर्यात के लिए उस देश की सरकार की अनुमति ली जानी होगी।

लाइसेन्स के लिए आवेदन

यदि किसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी ने प्रथम प्रकाशन के तीन वर्ष के भीतर आवेदन पत्र में उल्लिखित भाषा में उसका अनुवाद और प्रकाशन न किया हो अथवा अनुवाद प्रकाशित तो किया हो किन्तु उसकी प्रतियाँ समाप्त हो गई हों, तो प्रसारण प्राधिकरण प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन लाइसेन्स के लिए आवेदन कर सकता है।

इसके लिए आवेदक प्रसारण प्राधिकरण की ओर से प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आश्वस्त करना होगा कि उन्होंने प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन हेतु प्राधिकृत करने के लिए अनुरोध किया था किन्तु प्रतिलिप्यधिकार स्वामी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है अथवा समुचित प्रयास के बावजूद वे प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता नहीं लगा सके।

जहाँ प्रसारण प्राधिकरण ऐसे प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता नहीं लगा सका, उस स्थिति में उसने कृति पर प्रकाशित प्रकाशक को पंजीकृत डाक से उस कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए उन्हें प्राधिकृत करने के लिए अनुरोध-पत्र भेजा था और उस अनुरोध-पत्र को भेजे हुए छह महीने की अवधि अथवा यथास्थिति नौ महीने की अवधि हो गई है और इस अवधि में प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अथवा उनके द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति ने इस कृति का आवेदन में उल्लिखित भाषा में अनुवाद नहीं किया है, उस स्थिति में प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड प्रसारण प्राधिकरण को उस कृति के अनुवाद एवं प्रकाशन का लाइसेन्स जारी कर देगा। उसके लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा :

- अनुवाद विधिवत् उपलब्ध कृति से किया जाएगा।
- प्रसारण श्रव्य तथा दृश्य रिकार्डिंग के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रसारण एजेन्सी द्वारा ऐसी रिकार्डिंग विधिवत केवल भारत में प्रसारण के लिए की जाएगी।
- अनुवाद और प्रसारण किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से नहीं किया जाएगा।

2.14 रूपान्तरण का अर्थ

किसी कृति का रूपान्तरण स्पष्टतः एक नई साहित्यिक कृति का दर्जा पा लेता है। जो व्यक्ति रूपान्तरण करता है वह उसका रचनाकार होता है। रूपान्तरण की गई कृति में उसके रचनाकार, अर्थात् रूपान्तरणकर्ता का

प्रतिलिप्यधिकार होता है। अन्य लेखकों की भाँति उस कृति में रचनाकार का उसके जीवन काल के दौरान प्रतिलिप्यधिकार रहता ही है, यह प्रतिलिप्यधिकार उसकी मृत्यु के बाद साठ वर्ष तक रहता है। इन साठ वर्षों की गणना लेखक की मृत्यु के वर्ष से अगले कैलेण्डर वर्ष से की जाती है। यदि रूपान्तरण की गई कृति के प्रकाशन से पहले रचनाकार की मृत्यु हो जाए, तो प्रतिलिप्यधिकार कृति के प्रकाशन के बाद साठ वर्ष तक रहेगा और इन साठ वर्षों की गणना प्रकाशन वर्ष के अगले कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी।

यदि किसी साहित्यिक, नाट्य अथवा संगीत रचना की रूपान्तरण की गई कृति की सार्वजनिक प्रस्तुति की जाती है अथवा ऐसी कृति की कोई ध्वनि रिकार्डिंग जनता को बेची जाती है तो उसे भी उसका प्रकाशन समझा जाता है और प्रतिलिप्यधिकार की अवधि उस सार्वजनिक प्रस्तुति अथवा ध्वनि रिकार्डिंग की बिक्री के समय से मानी जाएगी। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत रूपान्तरण की दी गई परिभाषा के अनुसार रूपान्तरण का अर्थ है :

- किसी नाट्य कृति को नाट्येतर कृति में परिवर्तित करना।
- किसी साहित्यक अथवा कला कृति को नाट्य कृति में परिवर्तित कर उसकी सार्वजनिक प्रस्तुति करना।
- किसी साहित्यिक अथवा नाट्य कृति का संक्षिप्तीकरण अथवा उसकी कथा का पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से ऐसे चित्रों के माध्यम से संक्षेपण करना, जिन्हें पुस्तक रूप में अथवा समाचार पत्र, पत्रिका आदि में प्रकाशित किया जा सके।
- किसी संगीत रचना का रूपान्तरण अथवा उसका प्रतिलेखन करना।

किसी कृति का रूपान्तरण एक मूल साहित्यिक कृति हो जाती है। इसलिए उसमें भी मूल साहित्यिक कृति की भाँति उसके रचनाकार का प्रतिलिप्यधिकार होता है। उसके पुनरुत्पादन और प्रकाशन के लिए प्रतिलिप्यधिकार स्वामी से अनुमति लेनी होगी अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स लेना होगा।

अनुवाद के सम्बन्ध में लाइसेंस समाप्त या रद्द करना (32 ख)

उल्लेखनीय है कि किसी विदेशी साहित्यिक अथवा नाट्य कृति के प्रथम प्रकाशन के तीन वर्ष की अवधि के बाद शिक्षण और शोध के लिए भारत में प्रयुक्त किसी सामान्य भाषा में उस कृति के अनुवाद, मुद्रण अथवा किसी अन्य रूप में पुनरुत्पादन के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड न केवल लाइसेन्स देता है, बल्कि वह उसे रद्द भी कर सकता है। विचारणीय है कि वह कब और किन स्थितियों में लाइसेन्स रद्द करता है?

लाइसेन्स जारी होने के बाद किसी समय यदि उस कृति का प्रतिलिप्यधिकार स्वामी अथवा उनके द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति लाइसेन्सशुदा कृति का उसी भाषा में भारत में उस अथवा उस जैसे विषय पर उसी स्तर की कृतियों के अनुवाद के लिए सामान्यतया लिए जाने वाले मूल्य के लगभग समान मूल्य पर अनुवाद एवं प्रकाशन उपलब्ध कराए, कृति लगभग वही हो, तो उस कृति के अनुवाद के लिए दिए गए लाइसेन्स रद्द कर दिए जाएँगे। इसमें शर्त यही है कि इसके लिए अनुवाद के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी उस लाइसेन्सधारी को उस कृति के उसी भाषा में अनुवाद के बारे में निर्धारित प्रपत्र में नोटिस भेजे। नोटिस प्राप्त होने के तीन महीने की अवधि के बाद ही यह लाइसेन्स रद्द माना जाएगा। लाइसेन्स के रद्द होने की स्थिति में लाइसेन्सधारी द्वारा अनूदित और प्रकाशित लाइसेन्सशुदा कृति की प्रतियों की बिक्री अथवा वितरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसकी सारी प्रतियाँ समाप्त नहीं हो जातीं।

लाइसेन्स रद्द करने के अन्य आधार

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड लाइसेन्सधारी को जारी लाइसेन्स अन्य आधारों पर भी रद्द कर सकता है। प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा किसी कृति के अनुवाद और प्रकाशन के लिए जारी लाइसेन्स में इस बात का उल्लेख रहता है कि लाइसेन्सधारी को लाइसेन्सशुदा कृति का अनुवाद और प्रकाशन कितनी अवधि में करना है। जब कोई लाइसेन्सधारी लाइसेन्सशुदा कृति का निर्धारित अवधि में अनुवाद और प्रकाशन न कर पाए तो उस लाइसेन्स को रद्द किया जा सकता है। लाइसेन्सधारी उस लाइसेन्स की अवधि बढ़ाने के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन

कर सकता है। उस स्थिति में लाइसेन्सधारी के आवेदन पर विचार किया जाता है और जहाँ सम्भव होता है, लाइसेन्सशुदा कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को सूचना जारी की जाती है। यदि लाइसेन्सधारी अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में लाइसेन्सशुदा कृति का अनुवाद और प्रकाशन नहीं कर पाता तो वह अवधि समुचित तर्क से बढ़ाई जा सकती है। यदि लाइसेन्सधारी बढ़ाई गई अवधि में भी लाइसेन्सशुदा कृति का अनुवाद और प्रकाशन नहीं कर पाता तो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड उस लाइसेन्स को रद्द कर सकता है।

अगर यह पता चलता है कि धोखे से अथवा किसी जरूरी तथ्य को गलत बता कर लाइसेन्स लिया गया है तो भी लाइसेन्स रद्द किया जा सकता है।

यदि लाइसेन्सधारी लाइसेन्स की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तब भी प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा लाइसेन्सधारी की सुनवाई करने के बाद उस लाइसेन्स को रद्द किया जा सकता है।

2.15 प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन और दण्ड

विदित है कि किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीत आदि कृति का अनुवाद स्वयं एक स्वतन्त्र कृति का दर्जा प्राप्त कर लेती है। किसी साहित्यिक कृति के अनुवाद में अनुवादक को पर्याप्त कौशल, श्रम और समय लगाना पड़ता है, इसलिए अनूदित कृति को साहित्यिक कृति का दर्जा मिल जाता है और अनुवादक को उसमें प्रतिलिप्यधिकार होता है। ऐसी अनूदित कृति का किसी भाषा में अनुवाद अथवा प्रकाशन उस कृति के अनुवादक अर्थात् प्रतिलिप्यधिकार स्वामी की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स के बिना अनुवाद, अथवा प्रकाशन करता है तो उस स्थिति में प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। लाइसेन्स की किसी शर्त का उल्लंघन करना भी प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन माना जाएगा।

प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन का अभिप्राय

कृति का किसी भाषा में अनुवाद होते ही उस अनुवाद पर अनुवादक का प्रतिलिप्यधिकार हो जाता है। कृति के अनुवादक की मृत्यु के साठ वर्ष बाद के अगले कैलेण्डर वर्ष से ही वह अनूदित कृति प्रतिलिप्यधिकार से मुक्त मानी जाएगी। हाँ, अगर उस अनुवाद से आगे किसी अन्य भाषा में अनुवाद करना हो तो उसके लिए प्रतिलिप्यधिकार की अवधि सात वर्ष की होगी। सात वर्ष की अवधि के बाद अगर उस कृति का अनुवाद करना हो तो उसके लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स लेना होगा।

प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन पर दण्ड

यदि कोई जानबूझ कर किसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन करता है या अतिलंघन का दुष्प्रेरक बनता है तो उसे छह महीने से तीन वर्ष तक का कारावास और पचास हजार से दो लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। कारावास की अवधि छह महीने से कम और जुर्माना पचास हजार रुपए से कम भी हो सकता है, पर इसके लिए न्यायालय को अपने निर्णय में पर्याप्त एवं विशेष कारण बताने होंगे।

कम्पनी द्वारा प्रतिलित्यधिकार का अतिलंघन करने पर उस कम्पनी के प्रभारी एवं कम्पनी के संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन के मामले मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे के न्यायालय में दर्ज नहीं किए जा सकेंगे अर्थात् यह मामले उन्हीं के न्यायालय में दर्ज किए जा सकेंगे।

ऐसे न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यह निर्णय आने के तीस दिन के भीतर अपील की जा सकती है और अपील दाखिल करने पर अपील की सुनवाई एवं निपटारा होने तक अपीलीय न्यायालय निर्णय का कार्यान्वयन स्थगित कर सकता है।

इसी प्रकार, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार एवं प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को एक सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त होते हैं।

2.16 सारांश

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अनुसार कानून किसी व्यक्ति के कौशल, श्रम, समय एवं पूँजी से तैयार किसी वस्तु का अनुमति लिए बिना किसी अन्य व्यक्ति को लाभ उठाने की इज़ाजत नहीं देता। जिस व्यक्ति ने जो कृति अपने परिश्रम एवं कौशल से तैयार की है, उस पर उसी का अधिकार होता है। किसी कृति का रचनाकार उस कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी होता है। अतः प्रतिलिप्यधिकार कानून किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार की रक्षा और उसके अतिलंघन पर दण्ड की व्यवस्था करता है। विश्व की भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान में वृद्धि के कारण प्रतिलिप्यधिकार कानून में अनुवाद और रूपान्तरण के सम्बन्ध में कई नए प्रावधान किए गए हैं। अब किसी कृति के रचनाकार से बिना उसकी अनुमति लिए अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से बिना लाइसेन्स लिए किसी कृति का अनुवाद अथवा रूपान्तरण नहीं किया जा सकता। अनुवाद अथवा उसके प्रकाशन के लिए समूचे भारत में मौलिक साहित्यिक, नाट्य, संगीत एवं कला कृति, सिने फिल्म, ध्वनि निर्माण, कम्प्यूटर प्रोग्राम आदि कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार होता है। किसी कृति अथवा रचना का अनुवाद अथवा रूपान्तरण करना हो तो सर्वप्रथम, इस बात का पता लगाना होगा कि उस रचना विशेष का रचनाकार कौन है? यह भी पता लगाने की जरूरत होती है कि किसी कृति विशेष का प्रतिलिप्यधिकार किसके पास है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब किसी लेखक ने किसी कृति में अपने प्रतिलिप्यधिकार के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर दिया हो अथवा अपना प्रतिलिप्यधिकार किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित (Assign) कर दिया हो अथवा जब लेखक या निर्माता अज्ञात हो अथवा उसकी मृत्यु हो चुकी हो। अतः जब किसी कृति का अनुवाद करना हो या रूपान्तरण करना हो, तो उसके लिए विधिवत पहले अनुमति लेना जरूरी होता है। कानूनी अनुमति लिए बिना अनुवाद अथवा रूपान्तरण करना प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का अतिलंघन माना जाएगा और अतिलंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

रोजगार की अवधि के दौरान किए जाने वाले कार्य में प्रतिलिप्यधिकार, नियोजक का होता है। अनुवादक के कार्य में जिस कृति को तैयार करने में श्रम, कौशल और समय लगता है, उसे साहित्यिक कृति माना जाता है। किसी साहित्यिक, नाट्य अथवा संगीत रचना के अनुवाद की स्थिति में अनूदित कृति के पुनरुत्पादन या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संग्रहण, सार्वजनिक प्रस्तुति, रूपान्तरण, कम्प्यूटर प्रोग्राम आदि का अधिकार अनुवादक का होता है।

किसी कृति के प्रथम प्रकाशन के सात वर्ष बाद कोई अन्य व्यक्ति उस कृति का अनुवाद करना चाहता हो तो लेखक से अनुमति लेकर अथवा प्रलिप्यधिकार बोर्ड से विहित शर्त का अनुपालन करते हुए लाइसेन्स लेकर अनुवाद कर सकता है। अनूदित कृति का किसी अन्य भाषा में अनुवाद अथवा प्रकाशन अनुवादक की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स के बिना अनुवाद, अथवा प्रकाशन करता है, तो उस स्थिति में प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। लाइसेन्स की किसी शर्त का उल्लंघन करना भी प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन माना जाएगा।

कृति के अनुवादक की मृत्यु के साठ वर्ष बाद के अगले कैलेण्डर वर्ष से ही वह अनूदित कृति प्रतिलिप्यधिकार से मुक्त मानी जाएगी। हाँ, अगर उस अनुवाद से आगे किसी अन्य भाषा में अनुवाद करना हो तो उसके लिए प्रतिलिप्यधिकार की अवधि सात वर्ष की होगी। सात वर्ष की अवधि के बाद अगर उस कृति का अनुवाद करना हो तो उसके लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स लेना होगा।

जानबूझ कर किसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन करने या अतिलंघन का दुष्प्रेरक बनने वाले को छह महीने से तीन वर्ष तक का कारावास और पचास हजार से दो लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

2.17 शब्दावली

Adaptation	अनुकूलन
Artistic work	कला कृति

Assign	समनुदेशित करना
Author	लेखक
Authorised	प्राधिकृत
Broadcasting Authority	प्रसारण प्राधिकरण
Cinematograph film	सिने फिल्म
Commerce	वाणिज्य
Compulsory Licence	अनिवार्य लाइसेन्स
Copyright	प्रतिलिप्यधिकार
Corporate	निगम
Exclusive Licence	अपवर्जी/अनन्य लाइसेन्स
First Publication	प्रथम प्रकाशन
First owner of Copyright	प्रतिलिप्यधिकार का प्रथम स्वामी
Fraud	कपट
Indian work	भारतीय कृति
Infringement	अतिलंघन करना
In the course of employment	रोजगार के दौरान
Literary and dramatic works	साहित्यिक एवं नाट्य कृतियाँ
Public undertaking	लोक उपक्रम
Purpose of teaching, scholarship & research	शिक्षण, ज्ञान एवं शोध के लिए
Registered airmail post	पंजीकृत हवाई डाक
Reproduction of work	कृति का पुनरुत्पादन
Revoke	रद्द करना
Termination of licence	लाइसेन्स समाप्त करना
Term of Copyright	प्रतिलिप्यधिकार शर्त
Unpublished Indian works	अप्रकाशित भारतीय कृति

2.18 अभ्यास के लिए प्रश्न

1. अनुवाद और अनुकूलन का प्रतिलिप्यधिकार किन कृतियों में होता है?
2. किसी कृति के अनुवाद के लिए किससे अनुमति लेनी होती है?
3. रोजगार के दौरान अनुवाद की गई कृति में किसका प्रतिलिप्यधिकार होता है?
4. लेखक की अनुमति के बिना अनुवाद की गई कृति में किसका प्रतिलिप्यधिकार होता है?
5. अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद हेतु रोजगार में रखे गए अनुवादक द्वारा रोजगार के घण्टों में जापानी भाषा के एक भाषण का अंग्रेजी में किए गए अनुवाद पर किसका प्रतिलिप्यधिकार होगा?

6. प्रतिलिप्यधिकार को 'अधिकारों का पुलिन्दा' क्यों कहा जाता है?
7. अनुवाद के लिए स्वैच्छिक लाइसेन्स से क्या अभिप्राय है?
8. शिक्षण अथवा शोध के उद्देश्य से किन कृतियों के अनुवाद का लाइसेन्स लिया जाता है?
9. कृति के लेखक से अनुवाद की अनुमति कितने वर्षों बाद ली जा सकती है?
10. विदेशी अनूदित कृति को किस के लिए निर्यात किया जा सकता है?
11. निर्यात हेतु उस देश की सरकार की अनुमति जरूरी है?
12. प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता न चलने पर अनुरोध पत्र किसे भेजा जाएगा?
13. अप्रकाशित भारतीय कृति के अनुवाद हेतु लाइसेन्स कब लिया जा सकता है?
14. अनिवार्य लाइसेन्स कौन जारी करता है?
15. सरकार कृति के अनुवाद, प्रकाशन की अनुमति क्यों देती है?
16. लेखक की मृत्यु की स्थिति में रायल्टी का हकदार कौन होता है?
17. रायल्टी का निर्धारण कौन करता है?
18. किसी भारतीय सहित्यिक कृति के अनुवाद के पुनर्प्रकाशन के लिए अनिवार्य लाइसेन्स कब दिया जाता है?
19. भारतीय कृतियों से तात्पर्य क्या है?
20. प्रतिलिप्यधिकार स्वामी द्वारा कृति के प्रकाशन सम्बन्धी 'अनुचित माँग' रखने की स्थिति में अनिवार्य लाइसेन्स जारी किया जा सकता है?
21. एक से अधिक व्यक्ति का आवेदन प्राप्त होने पर प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड किस व्यक्ति को लाइसेन्स देगा?
22. साहित्यिक कृतियों के अनुवाद लाइसेन्स हेतु निर्धारित अवधि कितनी है?
23. भौतिक विज्ञान के अनुवाद लाइसेन्स हेतु निर्धारित अवधि कितनी है?
24. शिक्षा के लिए विदेशी कृतियों के पुनरुत्पादन के लाइसेन्स के लिए कब आवेदन दिया जा सकता है।
25. प्रसारण प्राधिकरण किन कृतियों के अनुवाद के लिए लाइसेन्स प्राप्त कर सकता है? उक्त अनुवाद के प्रसारण के उद्देश्य क्या होंगे?
26. प्रसारण प्राधिकरण द्वारा पुनरुत्पादित कृतियों का कब निर्यात किया जा सकता है?
27. प्रसारण प्राधिकरण अनुवाद के लाइसेन्स के लिए कब आवेदन कर सकते हैं?
28. अनुकूलन की गई कृति में किसका प्रतिलिप्यधिकार होता है?
29. अनुकूलित कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि कितनी होती है?
30. किस तरह की कृतियों का अनुकूलन किया जा सकता है?
31. अनुकूलन के लिए लाइसेन्स किससे लेना होता है?
32. लाइसेन्स कब समाप्त किया जा सकता है?
33. लाइसेन्स समाप्त होने का क्या प्रभाव होता है?
34. लाइसेन्स की अवधि बढ़ाई जा सकती है या नहीं?
35. धोखे से लिए गए लाइसेन्स को रद्द किया जा सकता है?
36. अनुवाद के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन कब होता है?
37. अतिलंघन सिद्ध होने पर क्या दण्ड विधान है?
38. न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कब की जा सकती है?

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. साहित्यिक, नाट्य, संगीत, कला कृति, सिने फिल्म, ध्वनि रिकार्डिंग एवं कम्प्यूटर प्रोग्राम में प्रतिलिप्यधिकार होता है।
2. किसी कृति के अनुवाद हेतु कृति के लेखक अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से अनुमति लेनी होती है।
3. किसी प्रकार का पूर्व करार न होने की स्थिति में रोजगार के दौरान अनुवाद किए जाने पर प्रतिलिप्यधिकार अनुवादक का होता है।
4. लेखक की अनुमति लिए बिना अनुवाद की गई कृति में प्रतिलिप्यधिकार किसी का नहीं होता ।
5. अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद हेतु रोजगार में रखे गए अनुवादक द्वारा रोजगार के घण्टों में किए जाने के बावजूद जापानी भाषा के भाषण के अंग्रेजी अनुवाद पर प्रतिलिप्यधिकार अनुवादक का होगा, क्योंकि उसके कार्य में जापानी भाषा से अनुवाद करना शामिल नहीं है।
6. चूँकि प्रतिलिप्यधिकार स्वामी के पास कृति के अनुवाद, प्रकाशन, सार्वजनिक प्रस्तुति/सम्प्रेषण से लेकर उसकी बिक्री तक का अधिकार होता है, वह इन अधिकारों का समनुदेशन किसी उचित व्यक्ति को समग्रता में भी कर सकता है, और टुकड़ों भी; इसलिए प्रतिलिप्यधिकार को 'अधिकारों का पुलिन्दा' कहते हैं।
7. लेखक अथवा रचनाकार जब अपनी कृति के अनुवाद की अनुमति स्वयं दे तो वह स्वैच्छिक लाइसेन्स कहलाता है।
8. शिक्षण अथवा शोध के उद्देश्य से साहित्यिक एवं नाट्य कृतियों के अनुवाद का लाइसेन्स लिया जाता है।
9. कृति के लेखक से अनुवाद की अनुमति सात वर्ष के भीतर ली जाती है।
10. विदेशी अनूदित कृति का निर्यात भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों अथवा उनके सन्धों के लिए किया जा सकता है।
11. निर्यात हेतु उस देश की सरकार की अनुमति जरूरी है।
12. प्रतिलिप्याधिकार स्वामी का पता न चलने की स्थिति में कृति पर छपे प्रकाशक के नाम अनुरोध पत्र भेजा जाता है।
13. अप्रकाशित भारतीय कृति की स्थिति में यदि लेखक की मृत्यु हो गई हो अथवा लेखक अज्ञात हो तो अनुवाद हेतु लाइसेन्स लिया जाता है।
14. अनिवार्य लाइसेन्स प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड जारी करता है।
15. सरकार कृति के अनुवाद, प्रकाशन की अनुमति राष्ट्र हित के लिए देती है।
16. लेखक की मृत्यु की स्थिति में रायल्टी का हकदार लेखक का कानूनी उत्तराधिकारी होता है।
17. रायल्टी का निर्धारण प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड करता है।
18. किसी भारतीय साहित्यिक कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी ने यदि उसके अनुवाद का प्रकाशन कर लिया हो, और अब उसके पुनर्प्रकाशन की अनुमति किसी को न हो, तो इस स्थिति में अनिवार्य लाइसेन्स जारी किया जा सकता है। क्योंकि पुनर्प्रकाशन न होने से वह कृति जनता से विधारित (withheld) हो जाएगी, अर्थात् जनता तक कृति की पहुँच पर रोक लग जाएगी। जबकि जनता तक कृति की पहुँच ही हर रचना का उद्देश्य होता है।
19. भारतीय कृतियों का तात्पर्य है– साहित्यिक, नाट्य, संगीत, कला, सिने फिल्म एवं ध्वनि रिकार्ड सम्बन्धी कृतियाँ, जिसके रचनाकार भारत के हों या उसका पहला प्रकाशन भारत में हुआ हो।
20. 'अनुचित माँग' का अर्थ प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का इनकार माना जाता है। इस इनकार के कारण वह कृति जनता से विधारित (withheld) हो जाएगी, अर्थात् वह जनता तक नहीं पहुँच पाएगी–ऐसी स्थिति में प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड ओग्य आवेदक को अनिवार्य लाइसेन्स जारी करता है।
21. एक से अधिक व्यक्ति का आवेदन प्राप्त होने परं प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड उस व्यक्ति को लाइसेन्स देगा जिसे लाइसेन्स जारी करना लोक हित में हो।

22. साहित्यिक कृतियों के अनुवाद लाइसेन्स हेतु निर्धारित अवधि सात वर्ष की है।
23. भौतिक विज्ञान के अनुवाद लाइसेन्स हेतु निर्धारित अवधि पाँच वर्ष की है।
24. शिक्षा के लिए विदेशी कृतियों के पुनरुत्पादन के लाइसेन्स के लिए आवेदन छह महीने तक भारत में कृतियाँ उपलब्ध न होने के बाद लाइसेन्स के लिए आवेदन किया जा सकता है।
25. प्रसारण प्राधिकरण विदेशी साहित्य एवं नाट्य कृतियों के अनुवाद के लिए लाइसेन्स प्राप्त कर सकता है। ऐसे अनुवाद के प्रसारण का उद्देश्य शिक्षण, ज्ञान और शोध होगा।
26. किसी देश की भाषा अंग्रेजी, फ्रांसिसी अथवा स्पेनिश से इतर होने पर प्रसारण प्राधिकरण द्वारा पुनरुत्पादित कृतियों का निर्यात किया जा सकता है।
27. किसी कृति के प्रथम प्रकाशन के तीन वर्ष बाद प्रसारण प्राधिकरण अनुवाद के लाइसेन्स के लिए आवेदन कर सकता है।
28. अनुकूलन की गई कृति में प्रतिलिप्यधिकार रचनाकार (अनुकूलन करने वाला) का होता है।
29. अनुकूलित कृतियों में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि रचनाकार के जीवन काल के बाद साठ वर्ष तक होती है।
30. साहित्यिक, नाट्य, संगीत आदि रचनाओं का अनुकूलन किया जा सकता है।
31. अनुकूलन के लिए लाइसेन्स लेखक अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लेना होता है।
32. जब प्रतिलिप्यधिकार स्वामी लाइसेन्सशुदा कृति का स्वयं अनुवाद प्रकाशित कर उसकी बिक्री करे तो लाइसेन्स समाप्त किया जा सकता है।
33. लाइसेन्स समाप्त होने पर भी लाइसेन्सशुदा कृति की शेष प्रतियों की बिक्री की अनुमति होगी।
34. लाइसेन्सशुदा अवधि में कृति का प्रकाशन न होने पर प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड अवधि बढ़ा सकता है, बशर्ते आवेदक समुचित करण के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करे।
35. धोखे से लिए गए लाइसेन्स को रद्द किया जा सकता है।
36. लेखक की अनुमति अथवा प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से लाइसेन्स लिए बिना किसी कृति का कोई अनुवाद कर ले तो वहाँ अनुवाद के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन माना जाएगा।
37. प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन सिद्ध होने पर छह महीने से लेकर तीन वर्ष तक का कारावास और पचास हजार से दो लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। कारावास की अवधि छह महीने से कम और जुर्माना पचास हजार रुपए से कम भी हो सकता है, पर इसके लिए न्यायालय को अपने निर्णय में पर्याप्त एवं विशेष कारण बताने होंगे।
38. न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध निर्णय आने के तीस दिन के भीतर अपील की जा सकती है। अपील दाखिल करने पर अपील की सुनवाई एवं निपटारा होने तक अपीलीय न्यायालय निर्णय का कार्यान्वयन स्थगित कर सकता है।

2.19 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- *प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957*
- मिश्र, जयप्रकाश(डॉ.), *बौद्धिक सम्पदा अधिकार : एक परिचय,* इलाहाबाद, सेण्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
- Bhandari, M.K., *Intellectual Property Rights*, Allahabad, Central Law Publication.
- खन्ना, सन्तोष, *भारतीय कानूनों का समाज शास्त्र,* दिल्ली, भारत ज्योति प्रकाशन।
- अग्रवाल, कृष्ण गोपाल, *विधि अनुवाद : विविध आयाम,* दिल्ली, संजय प्रकाशन।
- शर्मा, ब्रजकिशोर, *विधि की शब्दावली और विधि का अनुवाद,* नई दिल्ली, पीएचआई लर्निंग।

प्रपत्र 2

अनुवाद के लिए लाइसेन्स का आवेदन पत्र

(तीन प्रतियों में प्रस्तुति)

(देखें नियम 6)

सेवा में
प्रतिलिप्यधिकार पंजीयक सचिव
प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, नई दिल्ली

महोदय,

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 (1957 का 14वें) की धारा 32 क के अन्तर्गत

1. मैं यहाँ सलंग्न कथन में दिए गए विवरण के अनुसार प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड से कृति के अनुवाद हेतु लाइसेन्स के लिए आवेदन कर रहा हूँ।
2. यदि मुझे लाइसेन्स प्रदान किया जाता है तो मैं उसकी सभी शर्तों के अनुपालन का वचन देता हूँ

भवदीय

हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

विवरण

1. आवेदक का पूरा नाम :
2. पता :
3. तार का पता, यदि कोई हो तो :
4. कार्य का विवरण
   क. कृति क्या साहित्यिक, नाट्य, संगीत, कला, सिने फिल्म अथवा ध्वनि रिकार्डिंग है? :
   ख. कृति का शीर्षक :
   ग. लेखक का पूरा नाम, पता एवं राष्ट्रीयता और अगर लेखक की मृत्यु हो गई है तो उसके निधन की तारीख :
   घ. कृति की भाषा :
   ङ. प्रकाशक का नाम, पता एवं राष्ट्रीयता :
   च. कृति के प्रथम प्रकाशन का वर्ष :
   छ. देश का नाम जहाँ कृति का प्रथम प्रकाशन हुआ :
   ज. कृति की हर प्रति का मूल्य :
   झ. यदि कृति धारा 45 के अन्तर्गत पंजीकृत है तो उसकी पंजीकरण संख्या :

   यदि कृति किसी पत्र, पत्रिका आदि में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई हो उस पत्र अथवा पत्रिका का नाम उसकी खण्ड संख्या, तिथि तथा पृष्ठ का सन्दर्भ बताइए।
5. भाषा का नाम जिसमें कृति का अनुवाद किया जाना प्रस्तावित है :
6. अनुवादक का पूरा नाम और पता और उसकी अर्हताएँ :
7. आवेदक की अर्हताएँ, जो कृति का अनुवाद और प्रकाशन करना चाहता है :
8. लाइसेन्स लेने का प्रयोजन :
9. लाइसेन्स के अन्तर्गत कृति की कितनी प्रतियाँ प्रकाशित की जाएँगी?
10. प्रकाशन पर होने वाला अनुमानित व्यय :
11. कृति की प्रत्येक प्रति का बिक्री मूल्य :
12. रायल्टी की दर जो आवेदक प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को देना उचित समझता है :
13. रायल्टी के भुगतान के लिए आवेदक के पास क्या साधन हैं? :
14. क्या आवेदन के साथ निर्धारित फीस का भुगतान कर दिया गया है?
    अगर हाँ तो भुगतान का विवरण :
    पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/ट्रेजरी चलान संख्या :
    क. लाइसेन्स जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति का पता, नाम और राष्ट्रीयता :

ख. क्या आवेदक प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता लगाने की कोशिश के बावजूद उसका पता नहीं लगा सका?

ग. क्या आवेदक ने प्रतिलिप्यधिकार स्वामी से अनुवाद करने का अनुरोध किया था किन्तु उसने उसके लिए उसे प्राधिकृत करने से इनकार कर दिया है?

घ. यदि आवेदक प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का पता नहीं लगा सका तो क्या उसने उस कृति पर प्रकाशित प्रकाशक को उस अनुरोध-पत्र की एक प्रति पंजीकृत डाक से भेजी है? अगर हाँ, तो उस अनुरोध-पत्र भेजने की तारीख (पत्र-व्यवहार, यदि कोई हो तो, की मूल प्रतियाँ संलग्न करें)

15. क्या लेखक ने कृति की प्रतियाँ परिचालन से वापस ले ली हैं?

16. क. क्या इस कृति का उसी भाषा में उससे पहले अनुवाद हुआ था?

ख. क्या पहले वाले अनुवाद की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हैं?

ग. पहले वाले अनुवाद के अनुवादक का नाम, पता एवं राष्ट्रीयता और अगर अनुवादक की मृत्यु हो गई हो तो उसके निधन की तारीख :

घ. पहले वाले अनुवाद का शीर्षक :

ङ. पहले वाले प्रकाशक का नाम पता और राष्ट्रीयता :

च. प्रकाशन वर्ष :

छ. पहले वाले अनुवाद की प्रत्येक प्रति का मूल्य :

ज. यदि पहला अनुवाद धारा 45 के अन्तर्गत पंजीकृत है उसकी पंजीकरण संख्या :

झ. पहले वाले अनुवाद के लिए प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को दी गई रायल्टी और रायल्टी की दर :

17. क. क्या उपर्युक्त संख्या 5 में उल्लिखित भाषा से किसी इतर भाषा में अनुवाद किया गया है?

ख. अनुवादक का पूरा नाम, पता तथा राष्ट्रीयता और यदि उस अनुवादक की मृत्यु हो गई हो उसके निधन की तारीख :

ग. अनुवाद का शीर्षक :

ध. अनुवाद की भाषा :

ङ. अनुवाद के प्रकाशक का नाम, पता एवं राष्ट्रीयता :

च. प्रकाशन वर्ष :

छ. अनुवाद की प्रत्येक प्रति का मूल्य :

ज. यदि अनुवाद धारा 45 के अन्तर्गत पंजीकृत है तो उसकी पंजीकृत संख्या :

झ. प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को दी गई रायल्टी एवं रायल्टी की दर :

18. टिप्पणी, यदि कोई हो तो :

19. संलग्नकों की सूची :

हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

लाइसेन्स रद्द करने की नोटिस

प्रपत्र-2 बी

(देखें नियम 11 छ)

सेवा में,

महोदय,

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 के 14वें) की धारा 32 ख की उपधारा (1) के परन्तुक अथवा उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक के अनुसार मैं यह नोटिस देता हूँ कि निम्नलिखित कृति के .....(भाषा का नाम) में अनुवाद का मैंने अथवा मेरे द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ने प्रकाशन कर लिया है।

भवदीय

हस्ताक्षर

स्थान :

तिथि :

कथन

1.	कृति का शीर्षक	:
2.	प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का नाम एवं पता	:
3.	प्रथम प्रकाशन वर्ष और देश का नाम तथा प्रकाशक का नाम, पता एवं राष्ट्रीयता	:
4.	अनुवादक का नाम और पता	:
5.	प्रकाशक का नाम और पता तथा भारत में अनुवाद के प्रकाशन का वर्ष	:
6.	प्रकाशक का नाम और पता तथा भारत में कृति के पुनरुत्पादन का वर्ष	:
7.	प्रकाशित कृति का मूल्य	:

MPDD/IGNOU/P.O.1T/MAY, 2014

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ISBN: 978-81-266-6718-5